### हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

### अधिसूचना

दिनांक 20 नवम्बर, 2015

संख्या 08/26/15—1CI.— उपविधियों का निम्निलिखत प्रारूप, जिसे हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हिरयाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 392—छ के खण्ड 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 394 के अधीन यथा अपेक्षित उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करने का प्रस्ताव करते हैं जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है;

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा, प्रारूप उप—विधियों पर, आक्षेपों अथवा सुझावों सिहत, यदि कोई हो, जो प्रधान सिवव, हिरयाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ द्वारा निम्नलिखित प्रारूप उप—विधियों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से प्राप्त किये जायें, विचार किया जायेगा, अर्थात:—

### प्रारूप उपविधियां

संक्षिप्त नाम। 1 ये उप-विधियां हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप-विधियां, 2015 कही जा सकती हैं।

परिभाषाएं। 2 (1) इन उप-विधियों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (i) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16);
- (ii) "विज्ञापन" से अभिप्राय है, मीडिया साधन पर प्रदर्शित बहिष्कृत मीडिया के अध्यधीन नियन्त्रित क्षेत्र में शब्द, या उसके संकेताक्षर, अक्षर, लोगो, संकेत, चिह्न, अंक, पेंटिंग, ड्राईंग द्वारा कोई प्रदर्शन या अन्य सचित्र प्रदर्शन या रोशनी या ध्वनी, भूमि, भवन, आकाशी क्षेत्र, जल में किसी स्थान से जनता को दृश्य तथा/ या सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य;
- (iii) "विज्ञाप्ति करने" से अभिप्राय है, किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने का कार्य या प्रक्रिया;
- (iv) "सूचना पट्ट/होर्डिंग" से अभिप्राय है, विज्ञापन पैनल (पट्टी) के रूप में विज्ञाप्ति करने के लिए बड़े स्थल सहित ओ एम डी तथा जहां ऐसा पैनल (पट्टी), या तो भूमि या भवन पर किसी संरचना पर इसकी नींव सहित लगा हुआ है;
- (v) "भवन लाइन" से अभिप्राय है, लाइन जिस तक किसी भवन की कुरसी विधिवत्ः उस तरफ बढ़ाई जा सकती है, जो गली के साथ लगता है या गली का विस्तार है या आंवटित (ईयरमार्क) भूमि की पट्टी है या गली के आगामी निर्माण के लिए आरक्षित तथा या ऐसी लाइन, अधिकारिता या शक्ति रखने वाले सरकारी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना या समन्वय योजना या स्कीम में वर्णित है;
- (vi) "वाहन मार्ग" से अभिप्राय है, सड़क की चौड़ाई जहां वाहन किसी बाधा के बिना स्वतन्त्र रूप से चलते हैं:
- (vii) "वाणिज्यिक भवन" से अभिप्राय है, कारबार प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः प्रयुक्त या निर्मित या प्रयुक्त किये जाने के लिए ग्रहण या प्रयुक्त किये जाने के लिए आशयित कोई भवन;
- (viii) "नियन्त्रित क्षेत्र" से अभिप्राय है, नगर निगम की अधिकारिता में आकाशी क्षेत्र सहित भौगोलिक क्षेत्र;
- (ix) "प्रदर्शन" से अभिप्राय है, जनता को दृष्टिगोचर किया जा रहा विज्ञापन;
- (x) "गॅत्री" से अभिप्राय है, सड़क के आरपार निर्मित संरचना तथा यातायात के संचालन के सामने के अग्रभाग पर विज्ञापन सहित सड़क के आरपार पिलरों के सिरों को जोडते हुए बीम (शहतीर) के रूप के अनुभाग सहित सड़क की दोनों तरफ सामान्यतः स्थिर धातु अनुभाग का बना हुआ पिलर;
- (xi) "भारतीय संड़क कांग्रेस या आई आर सी" से अभिप्राय है, लागू भारतीय संड़क कांग्रेस संहिता, उसके अधीन समय—समय पर बनाए गए विनियम तथा जारी किये गये निर्देश;
- (xii) "हितबद्ध पार्टी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जिसने इन उप–विधियों के निबन्धनों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया है या किसी ऐसे आवेदन के सम्बन्ध में टिप्पणी या आक्षेप प्रस्तुत किया है या प्रतिवेदन दिया है;
- (xiii) "चौराहा" से अभिप्राय है, उसी स्तर का संयोजन जहां दो या उससे अधिक सड़कें या तो मिलती है या पारगमन (कृतिसंग) करती हैं;
- (xiv) "इलैक्ट्रोनिक होर्डिग" से अभिप्राय है, कम्प्यूटर प्रोग्राम तथा साफ्टवेयर या किसी अन्य साधन से लगातार विषय प्रदर्शन करने, प्रदर्शन तथा सूचनात्मक संदेश के लिए एल.ई.डी (लाईट ऐमीटिंग डाईओड) या एल.सी.डी (लीकवीड कीस्टल डीस्पले) या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक स्त्रोत से किये गये प्रदर्शन सहित ओ एम डी:
- (xv) "भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता या एन बी सी" से अभिप्राय है, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005, तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम;
- (xvi) "ओ एम डी" से अभिप्राय है, उप-विधि 14 में यथा उपवर्णित बाहरी मीड़िया साधन;
- (xvii) "स्वामी" से अभिप्राय है, सम्पत्ति का विधिक स्वामी;

- (xviii) "सम्पत्ति" से अभिप्राय है, सार्वजनिक स्थल सहित, भूमि के पृथक अस्तित्व के रूप में रजिस्टर्ड निजी या सार्वजनिक भूमि की कोई इकाई तथा इसमें अपेक्षित कोई इकाई तथा भूमि तथा/या शहर की साधारण योजना में चित्रित कोई सार्वजनिक स्थल शामिल है;
- (xix) "सार्वजनिक भवन" से अभिप्राय तथा इसमें शामिल है, सार्वजनिक पूजा के स्थान, थिएटर, छात्रावास, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक हाल, सार्वजनिक समारोह कक्ष, सार्वजनिक लेक्चर कक्ष, सार्वजनिक प्रदर्शनी के रूप में या सार्वजनिक सभा स्थान या समय—समय पर किसी समरूप प्रयोजन के लिए या तो साधारणतया या समय—समय पर प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिए निर्मित या स्वीकार्य भवन;
- (xx) "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्राय है, कोई स्थान जो जनता के उपयोग के लिए खुला है;
- (xxi) "सार्वजनिक मार्ग" से अभिप्राय है, सड़क, मार्ग या आम रास्ता या अन्य रास्ता अधिकार जिससे जनता पहुंचने का अधिकार रखती है या जो साधारणतः जनता द्वारा प्रयुक्त किया जाता है तथा इसमें शामिल है पटरी सहित सार्वजनिक मार्ग के रास्ता अधिकार का कोई भाग;
- (xxii) "रजिस्टरिंग हस्ती" से अभिप्राय है, ओ एम डी लगाने की अनुज्ञा मांगने वाला या विज्ञापन के प्रदर्शन का आशय रखने वाला कोई स्वामी;
- (xxiii) "रास्ता अधिकार या आर ओ डब्लयू" से अभिप्राय है, ऐसे सार्वजनिक मार्ग के आर–पार भवन लाइनों के बीच सार्वजनिक मार्ग की सम्पूर्ण चौड़ाई जिसमें मध्यम–रेखा, वाहनरास्ता, सेवा सड़क, सीधे तथा फुटपाथ/पटरी तथा उसके ऊपर आकाशी क्षेत्र शामिल है;
- (xxiv) "सड़क यातायात चिह्न" से अभिप्राय है, आई आर सी या किसी लागू अधिनियम में यथा अपेक्षित कोई सडक यातायात चिहन तथा यातायात संकेत;
- (xxv) "स्वतः विज्ञापन" से अभिप्राय है, उप-विधि 11 के निबन्धनों में प्रदर्शित विज्ञापन;
- (xxvi) "मार्ग फर्नीचर विज्ञापन" से अभिप्राय है, किसी सार्वजनिक सुविधा या संरचना पर प्रदर्शित विज्ञापन जो मुख्यतः विज्ञापन के लिए आशयित नहीं है तथा इसमें या तो प्रत्यक्षतः चिपकाया हुआ / जोड़ा हुआ या पैनल (पटरी) के रूप में विज्ञापन सिहत ऐसे मार्ग फर्नीचर की कार्यात्मक अपेक्षा के काम करने वाले उपयुक्त आकार तथा रूप के बैठने के लिए बैंच, पौधा बाक्स, पट्री कूड़ा—कचरा धानी, खम्बे से बंधी कूड़ा—कचरा धानी, सार्वजनिक परिवहन आश्रय, पटरी क्लाक, उपनगरीय नाम यन्त्र तथा मार्ग नाम, पेयजल स्त्रोत इत्यादि शामिल है;
- (xxvii) "संरचनात्मक इंजीनियर" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो डिजाईनिंग संरचना में संरचनात्मक इंजीनियरिंग व्यवसाय में कम—से—कम तीन वर्ष के अनुभव तथा संरचनात्मक इंजीनियरिंग में क्षेत्रीय कार्य योग्यता सहित भारतीय मान्यता प्राप्त या विदेशी विश्वविद्यालय की सिविल इंजीनियरिंग में या भारत की इंजीनियर संस्था के सिविल इंजीनियरिंग डिवीज़न का निगमित सदस्य या समकक्ष संस्था मे स्नातक है;
- (xxviii) "संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र" से अभिप्राय है, संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र;
- (xxix) "तीसरा पक्ष विज्ञापन चिह्न" से अभिप्राय है, स्वतः विज्ञापन से भिन्न कोई ओ एम डी;
- (xxx) "अस्थाई विज्ञापन" से अभिप्राय है, किसी आगामी घटना के लिए तीस दिन की अधिकतम अविध के लिए प्रदर्शित कोई विज्ञापन/ओ एम डी जिसमें मंनोरजन विषय, त्यौहार, मेला, व्यापार मेला, सम्मेलन, सडक प्रदर्शन शामिल है, किन्तु स्वतः विज्ञापन को छोडकर;
- (xxxi) "ट्रेलर विज्ञापन" से अभिप्राय है, किसी ट्रेलर, बाईसाईकिल या वाहन पर बंधा हुआ कोई ओ एम डी, जो स्थिर है या केवल विज्ञापन के प्रयोजन से चलता है;
- (xxxii) "शहरी डिजाइन" से अभिप्राय है, भवन, सड़क के बीच तथा आसपास शहरी स्थान की विशेष तथा सौन्दर्यपरक विशेषता को प्रकट करने तथा नियन्त्रित करने की कार्रवाई जिसमें भौतिक घटक जो भवन दिखावट तथा अन्य संरचना का मार्गस्केप तथा संयुक्त दृश्य प्रभाव को संघटित करना शामिल है:
- (xxxiii) "दीवार आच्छादन" से अभिप्राय है, भवन के शीशे/बाहरी हिस्से पर चिपकाया गया/लगाया गया विज्ञापन जो किसी भवन की दीवार को ढकने/अग्रभाग बनाने/दीवार के रूप में प्रयोग के लिए वास्तुशिल्पीय शक्ल के रूप में प्रयुक्त किया गया है।
- 3 (1) केवल स्वामी, अनुबन्ध-1 में यथा प्रदर्शित ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए नगर निगम के पास अपने आप को रिजस्टर करते हुए नगर निगम से ओ एम डी लगाने की अनुज्ञा मांगेगा;
  - (2) यह रजिस्ट्रेशन स्वतः विज्ञापकों (''एस ए'') के साथ—साथ स्वामी जो **अनुबन्ध—1** में यथा प्रदर्शित आनलाइन प्रकिया का प्रयोग करते हुए अपने परिसरों पर ओ एम डी लगाना चाहते हैं, के लिए भी अनिवार्य है।
  - (3) रजिस्ट्रेशन स्वतः विज्ञापकों के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि से दस वर्ष तथा अन्य स्वामियों के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी जो ओ एम डी लगाना चाहते हैं;

रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन। (4) रजिस्टर करने वाली हस्ती ऐसी रजिस्ट्रेशन फीस जो सरकार समय—समय पर, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जमा करवाएगी।

- रजिस्ट्रेशन के **4** लिए नगर निगम में प्रक्रिया।
- (1) रजिस्ट्रेशन से पूर्व नगर निगम सुनिश्चित करेगा कि,-
  - (i) रजिस्टरिंग हस्ती, उसके किसी एक निदेशक, स्वामी को, विज्ञापन कारबार का प्रदर्शन करने के लिए वचनबद्ध नगर निगम या किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा बहिष्कृत न किया गया हो;
  - (ii) रिजस्टरिंग हस्ती, इसके निदेशकों, स्वामियों की ओर से नगर निगम का कोई बकाया देय न हो;
  - (iii) ऐसा अनुमोदन आवेदन की प्रस्तुति के तीस दिन के भीतर नगर निगम द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- (2) ऊपर यथा वर्णित तथ्यों को सुनिश्चित करने के बाद नगर निगम रिजस्टिरिंग हस्ती को एकमात्र पहचान संख्या जारी करेगा।
- (3) नगर निगम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तीस दिनों में पूरी करेगा तथा आयुक्त अनुबन्ध 2 में यथा उपवर्णित अनुमोदन जारी करेगा।
- ओ एम डी **5** का

अनुमोदन।

- (1) किसी ओ एम डी के लिए आवेदन अनुबन्ध-3 के निबन्धनों में सूचना प्रस्तुत करते हुए किया जायेगा;
- (2) आवेदन प्ररूप के साथ निम्नलिखित संलग्न किया जाएगाः
  - (i) प्रक्रिया फीस जो सरकार द्वारा समय—समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जो भी हो, किसी रीति में अप्रत्यर्पणीय तथा असमायोजनयोग्य होगी;
  - (ii) अन्तिम सम्पत्ति कर भुगतान रसीद;
  - (iii) सम्पत्ति मालिक विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए सभी कार्यों / कृत्यों के लिए अकेला जिम्मेवार है;
  - (iv) ओ एम डी की प्रस्तावित स्थिति (जी पी एस समकक्ष) तथा प्रस्तावित ओ एम डी से पच्चीस मीटर के घेरे के भीतर स्थित किसी अन्य संरचना, भवन, ओ एम डी के सम्बन्ध में दूरियों को रंग में सूचित करते हुए स्थलयोजना दर्शाने वाली ड्राईंग;
  - (v) ओ एम डी तथा अवस्थितियों का परिमाप दर्शाने वाले सम्पूर्ण विनिर्देश;
  - (vi) ओ एम डी का डिजाइन तथा संरचना जो इसकी नींव अत्यधिक हवा स्थिति, भूकम्प, मिट्टी वहन क्षमता को बरदाश्त कर सकता है तथा समय—समय पर बनाई गई सम्बद्ध भारतीय संरचनात्मक डिजाईन मानकों, पॉलिसी तथा मार्गदर्शनों का अनुपालन करेगी के दृष्टिकोण से रक्षा पहलू को प्रमाणित करने हुए संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित की जायेगी। ब्योरों में किसी अन्य विधि के अनुपालन के सबूत सहित सहायक ढांचे, स्थिरणों तथा डिजाईन परिकलनों के सभी घटकों के आकार शामिल है। इसमें भारतीय सड़क कांग्रेस (आई आर सी), भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता (एन बी सी) तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जहां उस सीमा तक ऐसी विधि लागू है सहित, लागू अधिनियम तथा संहिता/मार्गदर्शन शामिल है किन्तु इसके लिए परिसीमित नहीं है;
  - (vii) यदि प्रस्तावित ओ एम डी भवन के अग्रभाग, भवन का उत्तोलन तथा माप दर्शाने वाले, वास्तुशिल्पीय ड्राईंग तथा प्रस्तावित ओ एम डी का विस्तृत माप तथा स्थिति तथा 1:1000 के माप का भवन चित्र का प्रत्येक विद्यमान ओ एम डी की स्थिति या नगर निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट स्थिति से संलग्न, या पर प्रदर्शित किया जाना है; तथा
  - (viii) आयुक्त द्वारा समय-समय पर आवेदन प्रारूप (अनुबंध 3) में अद्यतन कोई अन्य सूचना।
- आवेदनों का **६** मूल्यांकन, पर समीक्षा।

(1)

- ओ एम डी के आवेदन का मूल्यांकन करते समय, नगर निगम निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:--
  - (i) कि आवेदन इन उप-विधियों तथा अधिनियम के अनुसार है;
  - (ii) कि आवेदन किसी न्यायालय के किसी निर्देश के उल्लंघन में नहीं है; तथा
  - (iii) कोई अन्य विषय जो नगर निगम किसी आक्षेप करने वाली पार्टी से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों, आक्षेपों तथा टिप्पणियों पर आधारित उपयुक्त समझे।
- (2) नगर निगम को केवल अपने विवेक से, किसी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित है।
- (3) अनुमोदन नीचे यथा उपवर्णित अधिकतम अवधि के लिए होगाः
  - (i) किस्म क तथा किस्म ख : सम्बन्धित सरकारी अभिकरण तथा सम्बन्धित अभिकरण के बीच करार अवधि के समकक्ष:
  - (ii) किस्म ग, किस्म घ : 3 वर्ष;
  - (iii) किरम ड : मामले से मामले के आधार पर यथा विनिर्दिष्ट;
  - (iv) किस्म च : मामले से मामले के आधार पर यथा विनिर्दिष्ट;
  - (v) किस्म छ / स्वतः विज्ञापन : 10 वर्षः;
  - (vi) किरम ज : मामले से मामले के आधार पर यथा विनिर्दिष्ट;
  - (vii) किस्म झः तीन वर्ष;
  - (viii) किस्म ण : तीन वर्ष।

- नगर निगम सम्यक प्रक्रिया के अनुपालन के बाद लिखित में तथा इलैक्ट्रोनिक रूप से तीस दिन के भीतर (4) अनुबन्ध – 4 के रूप में संलग्न फारमैट के अनुसार आवेदक को अपना निर्णय अधिसूचित करेगा।
- लाईसैंस फीस आशय पत्र (एल ओ आई) जारी करने के सात दिन के भीतर नगर निगम को भूगतानयोग्य (5)
- किसी आवेदन के मुल्यांकन के अनुसरण में नगर निगम द्वारा प्रदान की गई कोई अनुज्ञा कम से कम तीन (6) मास से पूर्व स्वामी द्वारा वापस नहीं ली जाएगी।
- जहां रजिस्टर्ड हस्ती अनुमोदित आवेदन में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करती है, तो एक तिमाही (क्वार्टर) (7) लाईसैंस फीस (अनुवर्ती या पूर्ववर्ती तिमाही (क्वार्टर) का उच्चतर) के समकक्ष अतिरिक्त प्रक्रिया फीस कोई परिवर्तन करने के लिए नगर निगम को रजिस्टर्ड हस्ती द्वारा भुगतानयोग्य होगी। ऐसा अनुमोदन उप-विधि (3) में यथा उपवर्णित अवधि के लिए वैद्य होगा।
- विद्यमान सभी ओ एम डी इन उप–विधियों की अधिसूचना की तिथि से छह मास की अविध के भीतर इन (8) उप-विधियों का अनुपालन करेंगी।
- इन उप–विधियों के निबन्धनों के अनुसार प्रदान किया गया कोई भी अनुमोदन प्रभावी नहीं होगा कि:– (1)
  - कोई व्यक्ति विज्ञापन को लागू किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबन्धों से छूट प्राप्त है;
  - कोई व्यक्ति हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के उपबन्धों, (ii) अपेक्षाओं तथा लागुकरण से छूट प्राप्त है;
  - ओ एम डी का स्वामी इसकी बाध्यताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए छूट प्राप्त है कि ऐसा (iii) चिह्न सामान्य रूप से सुरक्षा तथा रक्षा सहित इन उप-विधियों तथा किसी अन्य लागू विधि के उपबन्धों के अनुसार डिजाईन, निर्मित, पूरा, प्रदर्शित तथा अनुरक्षित किया गया है।
- नगर निगम प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस ले सकता है या ऐसे अनुमोदन के सम्बन्ध में किसी शर्त अनुमोदनों 8 (1) को संशोधित कर सकता है या कोई अतिरिक्त शर्ते अधिरोपित कर सकता है, यदि नगर निगम की राय में, सम्बद्ध ओ एम डी:-
  - ऐसे अनुमोदन के समय पर विद्यमान पर्यावरण की प्रकृति या आस–पडोस की सुख सुविधा, मार्ग स्केप या शहरी डिजाईन के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, क्षेत्र जिसमें वह इसके आकार, चित्रावली की प्रबलता, डिजाईन के गुण, शिल्प, सामग्री या इसके अस्तित्व के कारण से अवस्थित है, के लिए हानिकारक बन गया है:
  - किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के लिए खतरा संघटित करता है, या खतरा बन गया है; (ii)
  - आलोचनात्मक तथा सौन्दर्यपरक रूप से महत्वपूर्ण प्राकृतिक विशेषता, वास्तुशिल्पीय विशेषता या (iii) नागरिक, वास्तुशिल्पीय, ऐतिहासिक या हैरिटेज महत्व से अन्धकारमय है;
  - इन उप-विधियों या किसी अन्य विधि के निबन्धनों के अनुसार निषिद्ध है या निषिद्ध हो गया है; (iv)
  - उसका भाग या तो दुर्घटना या किसी अन्य कारण से माध्यम से गिर गया है; (v)
  - क्या नगर निगम के निर्देश के अधीन इसको सुरक्षित करने के प्रयोजन के सिवाए कोई परिवर्धन (vi) किया गया है:
  - क्या उस में कोई परिवर्तन किया गया है: (vii)

7

- भवन या संरचना या सम्पत्ति निर्मित, समाप्त या नष्ट होने पर, तथा (viii)
- किसी अन्य स्थल / स्थान से सम्बन्धित जो लोक हित, सुरक्षा, सौन्दर्यपरक इत्यादि में आयुक्त, (ix) नगर निगम द्वारा निर्णीत की जाये।
- उप-विधि 8(1) में वर्णित कोई निर्णय लेने से पूर्व, नगर निगम अपने प्रस्तावित निर्णय के बारे में सूचित करते (2)हुए स्वामी को नोटिस जारी करेगा। नोटिस की तिथि से सात दिन के भीतर स्वामी, प्रस्तावित निर्णय के सम्बन्ध में लिखित प्रतिवेदन कर सकता है।
- नगर निगम द्वारा अनुज्ञा की आंशिक या सम्पूर्ण वापसी के मामले में, स्वामी अपने जोखिम तथा लागत पर ओ (3) एम डी सात दिन के भीतर हटाएगा या सुधारेगा तथा लाईसैंस फीस की बकाया राशि ऐसी वापसी के तीस दिन के भीतर मालिक को वापस दी जाएगी।
- आयुक्त स्वामी से प्राप्त आवेदन पर अपने निर्णय के लिए लिखित कारण देगा। (4)
- नगर निगम, बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन तथा उसकी मॉनीटरिंग के लिए अनुज्ञा देने हेतु पारदर्शी प्रणाली 9 (1) अपनाएगा। नगर निगम ऐसी अनुज्ञा देने तथा मानीटरिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली विकसित करेगा। नगर निगम, क्षेत्र जो नगर निगम की अधिकारिता में आते हैं, के लिए जी. आई. एस आधारित बाहरी मीडिया मास्टर योजना तैयार करेगा। सभी विद्यमान तथा प्रस्तावित, अपने जी.पी.एस. समन्वय सहित ओ.एम. डी. शहर के, जी.आई.एस. नक्शे पर चिहिनत किया जाएगा तथा उसे नगर निगम की वैबसाईट पर उपलब्ध कराएगा।
  - (2) प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्न अनुसार होगी :

आवेदन, नवीकरण मॉनीटरिंग के लिए आई टी आधारित समाधान।

की वापसी संशोधन।

अपवाद।

- (i) ये उप–विधियां तथा बाहरी मीडिया से सम्बन्धित सभी अधिसूचनाएं नगर निगम की वैबसाईट पर सूचना के प्रदर्शन के उपाय से आम जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (ii) हस्तियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को समर्थ बनाया जाएगा तथा रजिस्टरिंग हस्तियों को एकमात्र पहचान संख्या दी जाएगी जो बाहरी मीडिया से सम्बन्धित मामलों में नगर निगम के साथ सभी आगामी पत्राचार के लिए संरक्षित पासवर्ड होगा।
- (iii) सभी विद्यमान तथा प्रस्तावित बाहरी मीडिया को जी पी एस से जोड़ा जाएगा तथा शहर के जी आई एस नक्शे पर नगर निगम में उपलब्ध कराई जाएगी।
- (iv) बाहरी मीडिया को लगाने के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (v) प्रत्येक बाहरी मीडिया स्थल के पास उसको दी गई एकमात्र संहिता होगी जो उसके स्वामित्व, स्थान (जी पी एस समन्वय), मीडिया की किस्म, आकार (प्रदर्शन का क्षेत्र), विज्ञापन / भुगतानयोग्य लाईसैंस फीस, विज्ञापन के प्रदर्शन तथा कोई अन्य सूचना के लिए करार की वैद्यता जो नगर निगम की राय में कूटबद्ध (कोडिड) की जानी अपेक्षित हो, को सूचित करेगी।
- (vi) सभी ओ एम डी के अनुमोदनों को नगर निगम द्वारा इलैक्ट्रोनिक रूप से भी दिया जाएगा।
- (vii) चूककर्ताओं को सभी नोटिस, इलैक्ट्रोनिक रूप से भी भेजे जाएंगे।
- (1) अनुमोदन के बाद, ओ एम डी नगर निगम के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना रखरखाव कार्य से भिन्न जो ओ एम डी की मरम्मत के लिए अपेक्षित हो, कोई परिवर्तन नहीं करेगा, हटाएगा नहीं, पुर्ननिर्मित या उन्नत नहीं करेगा।
- (2) ओ एम डी के संचालन के लिए विद्युत परिचालक को नियन्त्रित करने वाली प्रत्येक विद्युत केबल तथा नाली इस हद तक प्रतिष्ठित तथा संलग्न की जाएगी ताकि वे बदस्रत न हों।
- (3) किसी भी ओ एम डी को, स्वामी के नाम से सम्बद्ध विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण / विद्युत वितरण कम्पनी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना किसी विद्युत आपूर्ति से नहीं जोड़ा जाएगा तथा ऐसी अनुज्ञा सम्बन्धित ओ एम डी के स्वामी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा अनुरोध करने पर उनको प्रस्तुत करनी होगी।
- (4) सभी ओ एम डी में विद्युत कनैक्शन तथा संघटक सम्बन्धित भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस), भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार होंगे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाईन किए जाएंगे कि यहां कोई भी सुरक्षा या यातायात जोखिम नहीं है।
- (5) जरनेटर जो डीजल/पैट्रोल/मिट्टी तेल या किसी बायो ईंधन से चलाए जा रहे हैं, शोर, वायु या जल प्रदूषण कर रहे हैं, तो किसी ओ एम डी के प्रदीपन के लिए विद्युत मुहैया कराने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (6) ओ एम डी का स्वामी सुनिश्चित करेगा कि प्रदर्शन के लिए मीडिया सहित किसी प्रकार की सामग्री का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा किसी अन्य लागू विधि/नियम/उप–विधि के अनुसार
- (1) सभी ओ एम डी केवल स्वतः विज्ञापन के प्रयोजन के लिए इन उप–विधियों के उपबन्धों का पालन करेंगे। तथापि निम्नलिखित मामलों में ओ.एम.डी. रजिस्ट्रेशन फीस से भिन्न किसी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होंगे:—
  - (i) सार्वजनिक बैठक, संसद, विधान सभा, निगम के निर्वाचन या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उम्मीदवारी से सम्बन्धत; (नगर निगम द्वारा परिलक्षित/आबंटित (ईयरमार्क) केवल प्राधिकृत स्थानों पर लगाया जा सकता है); या
  - (ii) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाता है यदि विज्ञापन उस भवन में चलाए गए व्यापार, व्यवसाय या कारबार से सम्बन्धित है; या
  - (iii) भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर व्यापार, व्यवसाय या कारबार या ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी सामान के किसी विक्रय या किराए पर देने या विश्लेषण, मंनोरजन या उस पर या उसमें बैठक बुलाने से सम्बन्धित है; या
  - (iv) भूमि या भवन का नाम जिस पर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, या ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी के नाम से सम्बन्धित है; या
  - (v) रेलवे प्रशासन के कारबार से सम्बन्धित है तथा जो किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेलवे प्रशासन की किसी दीवार या अन्य सम्पत्ति पर प्रदर्शित किया जाता है, से सम्बन्धित है; या
  - (vi) राज्य सरकार या भारत संघ सा नगर निगम किन्तु बोर्ड / निगमों को छोड़कर, के किसी विभाग की किसी गतिविधि से सम्बन्धित है: या
  - (vii) सम्पत्ति जहां कोई भवन, स्वीमिंग पूल, टैनिस कोर्ट, खंड़जा, बाड़ा या बाग का भू—दृश्य निर्माण या कोई अन्य संरचना निर्मित, निर्माण, पूरी की गई या परिवर्तित करने के सिलसिले में है तथा जिसमें सम्बन्धित कियाकलाप वर्णित है तथा ऐसे कियाकलाप में सम्बन्धित किसी वास्तुकार, ठेकेदार अथवा परामर्शदाता का नाम प्रकट किया गया है तथा उद्योग की शाखा या सिम्मिलित व्यवसाय विनिर्दिष्ट किया गया है;

ओ एम डी के **10** लिए सामान्य अपेक्षाएं।

स्वतः

विज्ञापन

11

- (viii) फेरीवालों के लिए मीडिया साधन;
- (ix) ठेला; तथा
- (x) साईकिल रिक्शा।
- (1) इन उप—विधियों में अभिव्यक्त या उपलक्षित किसी अन्य निषेध के अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति किसी ओ एम निषद्ध डी या विज्ञापन पर निम्नलिखित का निर्माण, अनुरक्षण या प्रदर्शन नहीं करेंगा:— क्षेत्र।
  - (i) राष्ट्रीय पार्क, जिला वन तथा प्राकृतिक जल निकाय;
  - (ii) कोई दीवार पोस्टर तथा दीवार चित्र;
  - (iii) पुरातत्वीय, वास्तुशिल्पीय सोन्दर्यप्रद, ऐतिहासिक या हैरीटेज महत्व के भवन;
  - (iv) मन्दिर, मस्जिद, चर्च तथा गुरूद्वारा इत्यादि सहित पूजा के धार्मिक महत्व के स्थान;
  - (v) हैरीटेज महत्व की मूर्ति, मीनार या पिलर;
  - (vi) अस्पताल तथा नर्सिंग होम;
  - (vii) शैक्षणिक संस्थाएं, पुस्तकालय;
  - (viii) श्मशान, कब्रिस्तान;
  - (ix) शेष संकटापन्न क्षेत्रीय ईको सिस्टम के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र;
  - (x) समय समय पर नगर निगम द्वारा अधिसूचित विशिष्ट गैर विज्ञापन जोन / क्षेत्र; तथा
  - (xi) यातायात संकेतों / साईन एजिज / साधन।
  - (2) कोई भी व्यक्ति किसी साधन, चिह्न, अक्षर या शब्द को विकृत नहीं करेगा या विकृत नहीं कराएगा जो नगर निगम द्वारा अनुमत ओ एम डी/विज्ञापनों पर नगर निगम द्वारा प्रदर्शित किए गए है; इनकी कोई उल्लंघना हरियाणा सम्पति निरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अधीन दण्डनीय होगा।
  - (3) इन उप–विधियों में अभिव्यक्त या उपलक्षित किसी अन्य निषेध के अतिरिक्त, नगर निगम निम्नलिखित को दर्शाने या उपलक्षित करने वाले विज्ञापनो या ओ एम डी को संशोधित करने या हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा:—
    - (i) नग्ना;
    - (ii) जातिगत विज्ञापन या जाति समुदाय या जातिय भेदभाव फैलाने वाले विज्ञापन;
    - (iii) स्वापक, शराब, सिगरेट या तम्बाकू वस्तुओं को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन;
    - (iv) महिला या बच्चो के शोषण का प्रचार करने वाले विज्ञापन;
    - (v) यौन इंगित वाले विज्ञापन;
    - (vi) पशु कूरता को चित्रित करने वाले विज्ञापन;
    - (vii) किसी राष्ट्र या संस्था को घटिया दृष्टि से चित्रित करने वाले विज्ञापन;
    - (viii) किसी ब्राण्ड या व्यक्ति की जाति निन्दा करने वाले विज्ञापन;
    - (ix) किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध विज्ञापन;
    - (x) हिंसा की महिमा करने वाला विज्ञापन;
    - (xi) लॉटरी टिकट, घुडदौड का जुआ प्रविष्टि तथा विज्ञापन से सम्बन्धित स्लॉट मशीन;
    - (xii) विनाशक उपकरण तथा विस्फोटक चित्रित करने वाली वस्तुएं;
    - (xiii) कोई साईडीलिक (आत्मीय), लेजर या गतिमान प्रदर्शन;
    - (xiv) हथियार तथा सम्बन्धित वस्तुओं का विज्ञापन (जैसे कि अग्निशस्त्र, अग्निशस्त्र पार्ट तथा मैगजीन (शस्त्रागार), गोलाबारूद्व इत्यादि);
    - (xv) विज्ञापन जो मानहानिकारक, व्यापार अपमानजनक, गैर कानूनी रूप से धमकाने वाला या गैर कानूनी रूप से तंग करने वाला है;
    - (xvi) विज्ञापन जो अश्लीलता या अश्लील साहित्य से अन्तर्विष्ट हो या स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (1986 का 60) के अर्थों के भीतर "स्त्री अशिष्ट रूपण" से अन्तर्विष्ट हो ;
    - (xvii) वस्तु, माल या सेवाओं के वर्णन सिहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडे. विज्ञापन जो तत्समय लागू किसी लागू विधि के अधीन निषिद्ध हैं किन्तु जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23), औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का 21), भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45), के लिए परिसीमित नहीं है; तथा
    - (xviii) नगर निगम द्वारा समय—समय पर अनुचित विचारी गई तथा अधिसूचित कई अन्य मद्दे (वस्तुएं)।
- नए ओ एम डी अनुज्ञात करने तथा साथ—साथ में बाहरी मीडिया की मास्टर योजना तैयार या अद्यतन करने हेतु नगर निगम समय समय पर अपनी अधिकारिता के भीतर सब स्थानों तथा सम्पत्ति (सम्पत्तियों) की पहचान करेगा।

नगर निगम की सम्पत्ति पर ओ एम डी। बहरी मीडिया 14 साधन (ओ एम डी) के फारमेट।

ओ एम डी, **अनुबन्ध—5** में उपवर्णित ब्यौरों के अनुसार तथा **अनुसूची—1 में** उपवर्णित अनुज्ञेय परिमाप सहित वर्गीकृत किया जायेगा।

लाईसेंस 15

फीस।

- अधिनियम की धारा 121 के निबन्धनों लाईसेंस फीस में, ऐसी दर पर जो सरकार समय–समय पर, आदेश (1) द्वारा विनिर्दिष्ट करे, वार्षिक आधार पर अग्रिम में स्वामी द्वारा भुगतानयोग्य होगी।
  - नगर निगम को आरोप्य कारणों के मद्दे नगर निगम द्वारा विज्ञापन को हटाने के मामले में, आनुपातिक राशि (2) स्वामी से आकलित की जाएगी ।
  - लाईसेंस फीस के अतिरिक्त, रजिस्टर्ड हस्ती, लाईसेंस अवधि के लिए वैद्य अग्रिम में नगर निगम को (3) भुगतानयोग्य त्रैमासिक लाईसेंस फीस के समकक्ष राशि की बैंक गारंटी जमा करेगी ।
  - विद्यमान ओ एम डीज जो सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सहित लाईसेंस फीस सभी ओ (4) एम डी पर इन उप विधियों की अधिसूचना पर तुरन्त लागू होगी ।
  - सभी लागू कर, लाईसेंस फीस के अतिरिक्त ओ एम डी के स्वामी द्वारा भूगतान किये जायेंगे। (5)

निरीक्षण। 16

- आयुक्त या उस द्वारा नामांकित अधिकारी इन उप-विधियों के लागूकरण तथा प्रवर्तन से सम्बन्धित किसी (1) प्रयोजन के लिए ओ एम डी का निरीक्षण करेगा।
- (2) आयुक्त या उस द्वारा नामांकित अधिकारी को स्वामी के अनुरोध पर, उप–विधि निरीक्षण के प्रारम्भ से पूर्व, या के दौरान इन उप-विधियों के प्रयोजनों के लिए निरीक्षण करने हेतू सशक्त नामांकित अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति की लिखित पुष्टि प्रस्तुत करेगा।
- आयुक्त द्वारा नामांकित अधिकारी समय–समय पर नगर निगम द्वारा यथा अधिसूचित में "बाहरी विज्ञापन (3) मीडिया साधन लेखा-परीक्षा प्ररूप" के सम्बन्ध में निरीक्षण करेगा ।
- इन उप-विधियों के उपबन्धों के अध्यधीन,-(1)

स्वामी, साधन तथा आस-पड़ोस के क्षेत्र के अनुरक्षण के लिये जिम्मेवार होगा ताकि यह ऐसी डिग्री तक घृणित न बने या विकृत न हो जो इन उप-विधियों के किसी उपबन्ध के विरोध में हो।

- स्वामी की स्वंय की सन्तुष्टि के दृष्टिगत से ओ एम डी का निरीक्षण तीन मास में कम से कम (ii). एक बार करेगा या करेगी कि यह उचित रूप से अनुरक्षित किया गया है तथा ऐसे निरीक्षण पर परिणामिक किसी आवश्यक अनुरक्षण को तुरन्त करवाएगा।
- स्वामी किए गए किसी निरीक्षण तथा किए गए अनुरक्षण का लिखित रिकार्ड रखेगा, रिकार्ड तथा (iii). इस को बनाए रखेगा तथा नगर निगम प्राधिकृत कर्मचारी के द्वारा अनुरोध करने पर रिकार्ड अवलोकन के लिये उपलब्ध करवाएगा।
- स्वामी सुनिश्चित करेगा कि नगर निगम द्वारा यथा अपेक्षित, नगर निगम के अनुमोदन के ब्योरे तथा ओ एम (2) डी के ब्यौरे मुहैया कराने वाले नगर निगम के उत्कीर्ण लोगो सहित एक धातु प्लेट (कम से कम एक फुट × एक फूट के आकार की) सभी समयों पर अच्छी स्थिति में प्रदर्शित की जायेगी तथा अनुरक्षित की जायेगी। ऐसा करने में असफल होने के परिणाम पर अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट शास्ति लगेगी।
- यदि नगर निगम की राय में, कोई ओ एम डी किसी खतरनाक या अस्रक्षित स्थिति में है या जीर्णावस्था की (3) स्थिति में आने के लिए अनुज्ञात किया गया है या इन उप–विधियों की किसी अपेक्षा के विरोध में है, तो नगर निगम विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ओ एम डी को हटाने / अनुरक्षण करने के लिये स्वामी को नोटिस की तामील करेगा तथा स्वामी के लिये उसका पालन करना अपेक्षित होगा या उपयुक्त कार्रवाई करनी अपेक्षित होगी।
- यदि नगर निगम की राय है कि ओ एम डी किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये सन्निकट खतरा है, तो यह (4) नोटिस की तामील किये बिना, या यदि ऐसा नोटिस तामील किया गया है, किन्तु उसमें विनिर्दिष्ठ अवधि के भीतर अनुपालन नहीं किया गया है, ओ एम डी हटाएगा/अनुरक्षित करेगा।
- किसी ओ एम डी को हटाने तथा संचयन के लिये उपगत लागत, तथा उप-विधि 17(4) में यथा अपेक्षित नगर (5) निगम द्वारा उपगत कोई अन्य लागत स्वामी से वसूल की जाएगी। ओ एम डी नगर निगम द्वारा स्वामी के जोखिम पर हटाई जाएगी।
- यदि ओ एम डी उप–विधि 17(4) के निबन्धनों के अनुसार हटाया गया है, तो नगर निगम को ओ एम डी का (6) इस प्रकार हटाने के बारे में, स्वामी को लिखित में तुरन्त सूचना देगा।
- कोई ओ एम डी जिसे इन उप–विधियों के निबन्धनों के अनुसार हटाया गया है या संचित किया है, फीस/ (7) प्रभार जिन्हें सरकार समय–समय पर आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, के भूगतान के अध्यधीन उसे उसके स्वामी को निर्मुक्त किया जायेगा।
- अप्राधिकृत बाहरी विज्ञापन को नगर निगम द्वारा तुरन्त रूप से हटाया जायेगा। नगर निगम ऐसे विज्ञापन/ (8) संरचना का जैसा है-जहां है के आधार पर तुरन्त निपटान करेगा तथा ऐसे हटाए जाने के लिये तथा निपटान प्रक्रिया के लिये ऐसी पर्याप्त कार्यवाही तैयार तथा लागू करेगा।
- प्राधिकृत ओ एम डी की सम्पूर्ण सूची सामान्य रूप से जनता तथा विज्ञापन कम्पनियों, विज्ञापको, पहचान के (9) लिये ब्राण्ड द्वारा संवीक्षा के लिये, स्वामित्व के प्रदर्शन के बिना, प्रदर्शित की जाएगी तथा सुनिश्चित किया

ओ एम डी का 17 अनुरक्षण तथा अप्राधिकृत विज्ञापनों को हटाना ।

जायेगा कि उन द्वारा जारी किया जा रहा विज्ञापन केवल प्राधिकृत ओ एम डी पर बांधा जा रहा है। उपरोक्त अपेक्षा का पालन करने में असफलता, हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11), के अधीन तथा ब्राण्ड के विरूद्ध कार्रवाई दण्डनीय होगी; विनिर्माता को अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट शास्तियों के रूप में माना जाएगा।

सम्पत्ति के स्वामी को जिस पर ओ एम डी निर्मित, संलग्न या प्रदर्शित किया गया है, इन उप–विधियों के निबन्धनों प्रलेखन। 18 के अनुसार ऐसे साधन के अनुमोदन के लिये तथा जब तक कि साधन निर्मित या प्रदर्शित किया जाता है, के लिए आवेदन के सम्बन्ध में सभी प्रलेखन की प्रमाणित प्रतियां रखेगा तथा प्रधिकृत कर्मचारी द्वारा अनुरोध करने पर ऐसे प्रलेखन प्रस्तुत करेगा।

19

22

यदि कोई लिखित टिप्पणी, प्रतिवेदन या आक्षेप अपेक्षित किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन के सम्बन्ध में प्राप्त हितबद्ध हुआ है, तो नगर निगम आवेदन पर निर्णय लेने से पूर्व सभी ऐसी टिप्पणीयों, प्रतिवेदनों तथा आक्षेपों पर पक्षकारों से विचार करेगा।

प्रतिवेदनों

- आवेदक आवेदन की किसी टिप्पणी, प्रतिवेदनों या आक्षेपों को प्राप्त करने के बाद चौदह दिन के भीतर का विचार। (2) विचारण के लिये नगर निगम को लिखित उत्तर प्रस्तृत करेगा।
- यदि कोई उत्तर चौदह दिन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो नगर निगम आवेदक को किसी (3) सूचना के बिना सम्बन्धित आवेदन पर निर्णय ले सकता है।

कोई नोटिस, जो इन उप-विधियों के निबन्धनों के अनुसार या के प्रयोजनों के लिये तामील किया जाना, दिया 20 जाना अपेक्षित है या दिया जाए, तो निम्नलिखित में से किसी एक रूप में दिया जाएगा;-

नोटिस तामील।

- सम्बन्धित व्यक्ति / स्वामी के अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा या डाक प्रमाण–पत्र के अधीन नोटिस की प्रति भेजते हुए, तथा, जब तक दिया गया प्रमाण प्रतिकूल न हो, यह समझा गया है कि तामील आगामी दिन जिस को दस्तावेज डाक में डाला गया था, के सातवें दिन को
- व्यक्ति को नोटिस की प्रति फैक्स करते हुये, यदि व्यक्ति ने नगर निगम प्राधिकारी को फैक्स (ii). नम्बर लिखित में दिया हो:
- रजिस्टर्ड ई-मेल आई डी पर ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेजते हुए; तथा (iii).
- स्वामी या स्वामी के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को नोटिस की प्रति देते हुये। (iv).
- कोई व्यक्ति जिसके अधिकार आयुक्त तथा इन उप-विधियों के निबन्धनों के अनुसार या के प्रयोजनों के लिये अपीलें। 21 (1) उस द्वारा नामांकित आयुक्त तथा अधिकारी के निर्णय द्वारा प्रभावित हुआ है, तो वह उस निर्णय के विरूद्ध अपील मण्डल के मण्डल आयुक्त को कर सकता है।

- अपील दायर करने से पूर्व, प्रभावित व्यक्ति आयुक्त या उस द्वारा नामांकित अधिकारी के निर्णय के पुनरीक्षण (2) के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- जो कोई भी इन उप-विधियों के किन्हीं उपबन्धों की उल्लघना करता है तो वह अधिनियम के अधीन यथा (1) विनिर्दिष्ट जुर्माने / शास्ति के लिए दायी होगा।

अपराध तथा शास्तियां।

- पन्द्रह दिन से आगे सतत उल्लंघन के मामले में, सम्पूर्ण भवन विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए बहिष्कृत कर (2) दिया जायेगा तथा विद्यमान स्थल को अप्राधिकृत घोषित कर दिया जायेगा। यह एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए या ऐसे ओ.एम.डी के उप–विधि का पालन करने तक, जो भी बाद में हो, अप्राधिकृत रहेगा। यह जुर्माना लाईसेंस फीस के अतिरिक्त जो विज्ञापन के अप्राधिकृत प्रदर्शन के लिए भूगतान किया जाना अपेक्षित
- किसी अनरजिस्टर्ड हस्ती द्वारा लगाये गये अप्राधिकृत मीडिया के मामले में, ओ.एम.डी का स्वामी तथा विज्ञापन (3) कम्पनी, विज्ञापक, ब्राण्ड (कथित मीडिया पर विज्ञापन जारी करने/रखने के लिए जिम्मेवार हस्ती) प्रत्येक अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट जुर्माने / शास्ति के लिए दायी होगा। जुर्माना, लाईसैंस फीस के अतिरिक्त जो विज्ञापन के अप्राधिकृत प्रदर्शन के लिए भूगतान किया जाना अपेक्षित है।
- यदि उसी स्वामी से ओ एम डी के उल्लंघन तीन पृथक उदाहरणों से अधिक घटते है, तो इसके निदेशकों (4) सहित स्वामी को तीन वर्ष की अवधि के लिये काली सूची में डालने की ओर ले जायेगा। स्वामी तथा निदेशकों को उपरोक्त कथित काली सूची में डालने के कारण, स्वामी सहित अन्य ओ.एम.डी. स्वतः अप्राधिकृत हो जायेंगी। पात्र ओ.एम.डी का पुनः प्रवेश अपेक्षित प्रस्तुति तथा मूल्यांकन के लिये नये आवेदन से सम्भव होगा।
- ओ एम डी का स्वामी, स्वामी तथा सरकारी प्राधिकारी के संयुक्त नाम से व्यक्तियों की दुर्घटनात्मक मृत्यू, 23 (1) शारीरिक हानि या सम्पति के दुर्घटनात्मक नुकसान के सम्बन्ध में तीसरे पक्षकार के लिये अपने सम्बन्धित अधिकारों, हितों तथा दायित्वों के लिये सार्वजनिक दायित्व बीमा पॉलिसी मुहैया कराएगा तथा पूर्णतया प्रवृत प्रभावशील रखेगा।
  - बीमे की सार्वजनिक दायित्व पॉलिसी का फारमैट ऐसा होगा जो विनिर्दिष्ट करे तथा नगर निगम द्वारा लिखित (2) में बीमाकर्ता के अनुमोदन से तथा नगर निगम द्वारा अनुमोदित निबन्धनों से प्रभावी होगा।
  - (3) स्वामी नगर निगम को प्रयोजनों के लिए प्रभावी तथा अनुरक्षित बीमें के सबूत प्रस्तूत करेगा।

बीमा ।

क्षतिपूर्ति। 24

- (1) ओ एम डी के स्वामी / आवेदक द्वारा, सभी कार्रवाई, कार्यवाहियों, दावों, मांगो, लागतों, हानियों, नुकसानों तथा खर्चों जो नगर निगम के विरूद्ध लाये गये हैं, या पर किए गये हैं जो ओ एम डी को लगाने या अस्तित्व के परिणाम के रूप में उत्पन्न हुये हैं, के विरूद्ध पदनामित ओ एम डी तथा गतिविधियों (क्रिया कलापों) के लिए नगर निगम को, क्षतिपूर्ति करनी अपेक्षित होगी।
- (2) ओ एम डी का स्वामी विज्ञापन के प्रदर्शन से उत्पन्न या सम्बन्धित किसी व्यक्ति या सम्पति द्वारा की गई किसी हानि या बरदाश्त किए गये नुकसान के लिए हमेशा जिम्मेवार होगा तथा परिणामी दावा स्वामी द्वारा उठाया जायेगा जो नगर निगम, इसके द्वारा नियोजित/नियुक्त किसी हस्ती की क्षतिपूर्ति भी करेगा तथा सुरक्षित भी रखेगा।

### अनुबन्ध 1 रजिस्ट्रेशन प्रारूप {देखिए उप–विधि 3 (1) तथा 3 (2)}

		का नगर निगम		
बाहरी वि	वेज्ञापन के प्रदर्शन के	लिए रजिस्ट्रेशन		
1.	कम्पनी /फर्म/अभि	करण / स्वामी का नाम :		
2.	रजिस्टर्ड पता :			
3.	टैलीफोन सम्पर्क :	का	रबार :	
			फैक्स :	
4.				
5.	निदेशकों / स्वामियों	/भागीदारों के ब्योरे :		
क्रम संख	<mark>ड्</mark> या	नाम	मोबाईल नम्बर	ईमेल पता
1.				
2.				
6.	हस्ती की किस्म :			
7.	पैन नम्बर :			
8.	सेवाकर नम्बर :			
9.	^			
10.	आवेदक फर्म/कम्पन	नी को पिछले तीन वर्षो में किर्स	ो सरकारी हस्ती	हां 🔲 नहीं 🔲
	द्वारा काली सूची में	नहीं डाला गया है।		
11.	•	ी की ओर कोई भी देय लम्बित	नहीं है	हां 🗌 नहीं 🔲
12.	यदि हां तो कृप्या कु	ल लम्बित देय विनिर्दिष्ट करें		हां 🔲 नहीं 🔲
13.	आवेदक फर्म / कम्पन नहीं है	ती की ओर कोई भी न्यायालय	मामला लम्बित	हां 🗌 नहीं 🔲
	मैं / हम, इसके द्वारा,	नगर निगम द्वारा बनाई गई वि	प्रेज्ञापन	हां 🔲 सहमत 🔲
		के निबन्धनों तथा शर्ती तथा		
	मार्गदर्शनों का पालन	। करूंगा / करेंगे। उपरोक्त सूची	बिद्ध सूचना भी	
	सत्य तथा प्रमाणित	है तथा इसके सम्बन्ध में प्रतिकृ	ल निष्कर्ष	
		शन रद्दं हो जाएगा।		
	(ऑफलाइन प्रस्तुतिव	जरण के मामले में, कृपया इस :	प्ररूप का प्रिंट आउट लें तथा "उ	गयुक्त,नगर
	निगम में भुगतानयोग	य" के पक्ष में नगर निगम कार्या इ ड्राफ्ट सहित इसे प्रस्तुत करें	लिय में आयुक्त, नगर निगम द्वारा	समय–समय पर विनिर्दिष्ट ऐसी
		2		प्रस्तुत
			तथा समय–समय पर	
			नवीनतम वृतान्त का हमेशा प्रयोग	

संख्या .....

प्रिय श्री मान जी.

2.

क.

ख.

घ.

नगर निगम में लम्बित देय

काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नहीं है

सेवा में

### अनुबन्ध 2 अनुमोदन प्रारूप {देखिए उप-विधि 4(3)} दिनांक ..... बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए ओ एम डी को लगाने के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके आवेदन संख्या ..... ....., दिनांक ..... के सन्दर्भ में है। यह बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए ओ एम डी को लगाने के लिए नगर निगम ...... से रिजस्ट्रेशन के बारे में आपके आवेदन के संदर्भ में है। यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है : रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है तथा आपको एकमात्र पहचान संख्या ......... कृपया नगर निगम में सभी आगामी पत्राचार तथा नगर निगम ...... ...... आवंटित की गई है। की वैबसाईट पर आपके लेखे को सिक्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाए। नए मीडिया / नवीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के कारण अरवीकृत किया गया है: अधरा आवेदन दी गई गलत सूचना

आयुक्त

नगर निगम .....

- टिप्पण :आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आप उपरोक्त वर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते
- टिप्पणः यह केवल प्ररूपी फारमैट है तथा यह नगर निगम द्वारा समय–समय पर रूपान्तरण / संशोधन के अध्यधीन है।

### अनुबन्ध 3 आवेदन प्रारूप {देखिए उप-विधि 5(1), 5(2)(viii)}

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए						
जिला :	शहर :	वार्ड	:	जोन :		परमिट नम्बर :
सड़क / गली / पताः						
दी गई तिथि :		आवेव	आवेदन संख्या :			
परमिट जारी करने की	तिथि :	परमि	ट समाप्ति की तिथि	Γ:		
अनुभाग — I — फीस (मेल द्वारा कोई भी नकद स्वीकृत नहीं है)						
आवेदन फीस (अप्रत्यर्पणीय)						
खाता संख्या : बैंक का नाम : आई एफ एस सी कोड :						

खाता संख्याः		प्रभारिक	त कुल फीर	τ:	
अनुभाग – II – प्ररूप –					
किस्म क	किस्म ख	किर	स्म ग	किस्म घ	किस्म ड, च, छ तथा
<ul> <li>■ बस तथा आई         □         पी टी आश्रय</li> <li>■ बस तथा आई         □         पी टी मार्ग         मार्कर</li> </ul>	<ul> <li>यातायात रूकावट</li> <li>पइलोन माउंटिड साधन</li> </ul>		सरकारी भूमि पर ओ एम डी	<ul><li>सूचना पट्ट</li><li>यूनिपोल</li><li>भवन बोर्ड</li><li>छीवार आवरण</li></ul>	झ       • अस्थाई       • घटना       • वृक्ष गार्ड       • स्वयं
<ul> <li>शौचघर ब्लाक</li> <li>साईकल स्टेशन</li> <li>पुलिसबूथ</li> <li>बैठने के बैंच</li> </ul>	<ul> <li>मैट्रो / ए</li> <li>आर</li> <li>एस / ए</li> <li>ओ बी</li> <li>सरकारी</li> <li>परिवहन</li> <li>वाहन</li> </ul>	टी		• एल ई डी / इलैक्ट्रोनिक	
अनुभाग — III — आवेद	क				
आवेदक का नाम (कृपया फर्म या व्यक्तिगत का मुद्रित या टाईप नाम वांछित परमिट)	निदेशकों के न	ताम :	एक मात्र	रजिस्ट्रेशन संख्या :	ओ एम डी आई डी :
मेलिंग पता :	शहर :		राज्य :		कार्यालय फोन नम्बर/मोबाईल
					नम्बर :
OTTOTAL DV	<u>.</u>				
अनुभाग – IV – सम्पत्ति	1				
सरकारी			प्राई		<u> </u>
सम्पत्ति स्वामी का न (व्यक्ति के नियन्त्रण सम्पत्ति)	iम	शहर :			गेन नम्बर : 
अनुभाग V – प्रदर्शन स्थ	ान सूचना			<b>-</b>	
क्षेत्र :	स्था	न :	-	गली : सीमा	चिह्न :
			-		
अनुभाग VI य	मीडिया वििीा	ष्टियां			
उंचाई :		लम्बाई :		. आकार (वर	ਿ ਯੂਟ ਸੇਂ) :
सामग्री घातु लकड़ी अन्य		चित्रावली हां	नहीं	अग्रभाग र्क एन एस	ो सूचना देना ई डब्लयू
अनुभाग VII – अपेक्षित	दस्तावेज			·	
कृपया निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें:					
• निदेशक					अपलोड

•	मवन परामट / सम्पात्त कर	अपलाड		
•	पैन संख्या	अपलोड		
•	सेवा कर संख्या	अपलोड		
•	संरचनात्मक इंजीनियर सम्पत्ति स्वामित्व का प्रमाणपत्र	अपलोड		
•	भवन मालिक तथा अभिकरण के बीच करार	अपलोड		
•	जी पी एस अवस्थिति सहित ओ एम डी का समकक्ष	अपलोड		
•	स्थल के फोटो	अपलोड		
•	स्थल की रेखाचित्र योजना	अपलोड		
•	लम्बित देय (यदि कोई हों)	अपलोड		
•	वास्तुशिल्पीय ड्राईंग (उत्थापन, माप मापक्रम) 1:1000	अपलोड		
मैं / हम, इसके द्वारा, नगर निगम द्वारा बनाई गई उप—विधियों के सभी उपबन्धों का पालन करूंगा / करेंगे। (आफलाइन प्रस्तुतिकरण के मामले में, कृपया इस प्ररूप का प्रिन्ट आउट लें तथा				
	21 7 7 7 4			
	अनुबन्ध–4 (देखिये उप–विधि 6(4)) नगर निगम,द्वारा अनुमोदन पत्र			
संख्या सेवा में	(देखिये उप—विधि 6(4)) नगर निगम,द्वारा अनुमोदन पत्र			
	(देखिये उप—विधि 6(4)) नगर निगम,द्वारा अनुमोदन पत्र दिनांक			
सेवा में	(देखिये उप—विधि 6(4)) नगर निगम,द्वारा अनुमोदन पत्र दिनांक	ए आपके आव	वेदन संख्या	
सेवा मेंदिनांक प्रिय श्रीमान जी,	(देखिये उप—विधि 6(4))  नगर निगम,दारा अनुमोदन पत्र  दिनांक  दिनांक  बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए नये ओ एम डीज / नवीकरण को लगाने के लि  उ के संदर्भ में।  यह नगर निगम में आपकी कम्पनी / फर्म / अभिकरण नगर निगम ो एम डी / नवीकरण को लगाने के बारे में आपके आवेदन के सन्दर्भ में है।	ा द्वारा बाहरी	विज्ञापन के	
सेवा मेंदिनांक प्रिय श्रीमान जी, प्रदर्शन के लिए अं	(देखिये उप—विधि 6(4))  नगर निगम,द्वारा अनुमोदन पत्र  दिनांक	ा द्वारा बाहरी लेया गया है	ं विज्ञापन के :	
सेवा मेंदिनांक प्रिय श्रीमान जी,	(देखिये उप—विधि 6(4))  नगर निगम,दारा अनुमोदन पत्र  दिनांक  दिनांक  बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए नये ओ एम डीज / नवीकरण को लगाने के लि  उ के संदर्भ में।  यह नगर निगम में आपकी कम्पनी / फर्म / अभिकरण नगर निगम ो एम डी / नवीकरण को लगाने के बारे में आपके आवेदन के सन्दर्भ में है।	द्वारा बाहरी लेया गया है नेगम की सी पर अोर आपका, ये की मासिव	विज्ञापन के :- माओं(वर्ग आकार)(वर्ग डसके द्वारा, क फीस जमा	

- 2 दी गई गलत सूचना
- उ नगर निगम में लिम्बित देय
- 4 काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नहीं है
- 5 अन्य

### आपका धन्यवाद

आयुक्त	
नगर निगम	

टिप्पण: आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आप उपरोक्त वर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते

हैं।

टिप्पण : यह केवल प्ररूपी फारमैट है तथा यह नगर निगम द्वारा समय-समय पर रूपान्तरण / संशोधन के अध्यधीन है।

### अनुबन्ध 5 (देखिये उप–विधि 14)

वर्गीकरण	वर्गीकरण वर्णन	
क.	प्ररूप वर्गीकरण क : सार्वजनिक परिवहन सेवाओं / गली फर्नीचर पर ओ एम डी	
क1	बस तथा मध्यवती सार्वजनिक परिवहन (आई.पी.टी.) आश्रय	
क2	बस तथा आई.पी.टी मार्ग मार्कर	
क3	फुट ओवर सेतु, शौचघर ब्लाक तथा मूत्रालय	
क4	साईकल स्टेशन	
क5	पुलिस बूथ, पर्किग बूथ, टैलीफोन बूथ, पूर्व भुगतान टैक्सी बूथ, बस/रेल बुकिंग सूचना बूथ, पेयजल सुविधा, विक्रय कियोस्क, निर्देशिका/बिलो के भुगतान इत्यादि को सूकर बनाने के लिए कालोनियों के बाहर कियोस्क।	
क6	बैठने के बेंच, कूड़ा–करकट धानी।	
ख.	वर्गीकरण ख : विज्ञापन सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर ओ एम डी ।	
ख.1	मैट्रो / एम.आर.औ.एस	
ख.2	यातायात रूकावट	
ख.3	सार्वजनिक परिवहन वाहन	
ग.	वर्गीकरण ग : सार्वजनिक भूमि पर विणिज्यिक विज्ञापन संरचना पर ओ एम डी	
ग.1	सार्वजनिक भूमि पर ओ.एम.डी.	
घ	वर्गीकरण घ : निजी भूमि पर विणिज्यिक विज्ञापन संरचना पर ओ एम डी।	
घ.1	यूनिपोल, सूचनापट्ट, भवन बोर्ड, दीवार, आवरण, बहुविध ओ.एम.डी	
ভ.	वर्गीकरण ड. : घटनाएं	
ভ.1	वर्गीकरण घटनाएं	
च.	वर्गीकरण च : भू—दृश्य विज्ञापन	
च.1	वृक्ष गार्ड	
छ.	वर्गीकरण हेतुः दुकान संकेत	
छ.1	स्वतः विज्ञापन	
ज.	वर्गीकरण ज : नवाचार विज्ञापन	
ਯ.1	नवाचार विज्ञापन	
झ.	वर्गीकरण—झ : सिनेमा विज्ञापन	
झ.1	स्क्रीन विज्ञापन पर सिनेमा में जिसमें खिसकना (स्लाईड) तथा विज्ञापन फिल्म (गतिमान विज्ञापन) शामिल हैं	

<b>ਤ</b> .	रूप—वर्गीकरण ञ : आन्तरिक वणिज्यिक भवन तथा सरकारी भवन
স.1	आन्तरिक वणिज्यिक भवन तथा सार्वजनिक भवन

समर्थित संरचना चमकीली (चमचमाती) रूकावट के लिए गैर-परावर्तक से परिष्कृत होगी। ओ एम डी संरचना को सभी समय भली भांति अनुरक्षित किया जाएगा। इसे ऐसे रंग से रंगा जाएगा जो आस-पड़ोस से संगत हो, तथा उसको बढावा दें।

### अनुसूची—1 सामान्य अनुज्ञा मापदण्ड— बाहरी मीडिया साधन (देखिए उप—विधि—14)

### 1. यातायात बाधा सम्भाव्य निर्भरता

- (1) ओ एम डी यातायात बाधा सम्भाव्य निम्नलिखित पर निर्भर है:--
  - स्थल अवस्थिति : सड़क से ओ एम डी की अवस्थिति जो सड़क के किनारे से पार्श्व तथा देशान्तरीय अपसरण के निबन्धनों के अनुसार मापी गई है। सामान्यतः बाधा को कम करने के लिये साधन सडक से दूर है;
  - (ii) ओ.एम.डी का आकार;
  - (iii) ओ.एम.डी का संदीप्ति स्तर; तथा
  - (iv) अप्रकाश्यता तथा अन्य ऐसे सम्बन्धित विषय।
- (2) विज्ञापन साधन को यातायात बाधा माना जा सकता है, यदि यह सड़क सुरक्षा या यातायात दक्षता में बाधा डालता है।
  - (i) यदि यह यातायात नियन्त्रण साधन (अर्थात् यातायात प्रकाश, ठहराव या रास्ता संकेत देना) की प्रभावकारिता में बाधा डालता है।
  - (ii) संकटमय समय पर चालक का ध्यान भंग करता है। (अर्थात् चौराहे पर निर्णय लेने में)।
  - (iii) सड़क बाधा में चालक की नजर को धुधंला करता है (अर्थात् सड़क के कोने या मोड़ पर)।
  - (iv) 'रूकने', 'उहराव' या अन्य में यातायात के लिए हिदायतें देता है (अर्थात् रास्ता देना या विलीन होना)।
  - (v) यातायात नियन्त्रण साधन का अनुकरण करना।
  - (vi) क्या सड़क या अन्य अवसंरचना, यातायात, पैदलयात्रियों, साईकिल चालकों या अन्य सड़क उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक बाधा डालता है।
  - (vii) क्या ऐसे क्षेत्र में हैं जहां कहीं अनेक साधन हैं तथा उन साधनों का प्रभाव समान्य रूप से
  - (viii) यदि ऐसे स्थान पर स्थित है जहां सड़क स्थिति के कारण चालक की एकाग्रता की मांग मुख्य है जैसा कि मुख्य चौराहे या विलीन होने तथा अटकने वाले पथ पर।
  - (ix) यदि यह नगर निगम की भवन उप-विधियों का उल्लंघन करता है।
- (3) उपर्युक्त के अतिरिक्त, अतिरिक्त चालक ध्यान तथा निर्णय करना निम्नलिखित में अपेक्षित है:--
  - (i) उच्च गति में मोड़ना, विलीन होना या टेढे—मेढे चलना चौराहे पर जैसे कि 'Y' चौराहा या बड़े उच्च गति चक्कर;
  - (ii) चौराहे के आस—पड़ोस में जहां सम्पूर्ण पथ विलीन हो जाता है तथा जहां वाहनों का उच्चतर गति में विलीन होना अपेक्षित है (अर्थात् जहां ''जाल पथ'' चौराहे से पहुंच मार्ग, या से निकास को सृजित करता है तथा जहां विभाजित मोटर रास्ता दो सड़कों में बन जाता है);
  - (iii) सड़क के चौराहे या काट जो पथ की आकृति या ज्यामिति के कारण, चालक एकाग्रता के स्तर में वृद्धि के लिए जरूरी हो सकती है (अर्थात् पांच-रास्ता चौराहे, पीछे से पीछे सपाट मोड़);
  - (iv) विभाजित सड़क के बाहरी मोड. पर जहां विज्ञापन वाहन रास्ते के सामने के यातायात को निदेशित करता है तथा ज्यामिति, कोण या अन्य घटक इसे आपत्तिजनक बनाते हैं;
  - (v) सडक को विभाजित करने वाले यातायात संकेत, दिशात्मक चिह्न, विनियामक तथा सलाहकारी चिह्न का प्रदर्शन करना जो कि (जब एक मात्र रूप से या संयोजन से माने गये हैं) महत्वपूर्ण रूप से अधिक असदृश या पेचीदा के रूप में मान लिए गये है, तो वे सामान्यतः प्रत्याशित होंगे (इन चौराहों पर यह प्रत्याशित होगा कि यातायात नियन्त्रण साधन (साधनों) की अपेक्षित अध्ययनता तथा व्याख्या अवधि सार्थक रूप से लम्बी होगी;
  - (vi) सड़क की काट जहां पूर्ववत वाहन टक्कर सामान्य प्रणाली से उच्चतर है;
  - (vii) पैदल यात्रियों के लिए कासिंग सुविधाएं; तथा
  - (viii) विद्यालय, अस्पताल।

### 2. ओ.एम.डी. स्थान चयन मानदण्ड

- (1) स्थान चयन के मानदण्ड में निम्नलिखित शामिल है :--
  - (i) ओ एम डी का पार्श्व स्थापना (जो गुमराह वाहन तथा सरकारी यातायात चिह्नों की वास्तविकता की सम्भावय बाधा को प्रभावित करता है), तथा
  - (ii) निर्दिष्ट यातायात स्थिति तथा सरकारी यातायात चिह्न, सड़क विशेषता तथा अन्य ओ एम डी (जो दृश्य दूरी तथा चालक घबराहट को प्रभावित करता है) से संबंधित ओ एम डी का देशान्तरीय स्थापन (चालक घबराहट नियन्त्रण)।

### (2) पार्श्व स्थापना

- (i). विज्ञापन मध्यम रेखा में अनुमत नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण यातायात नियन्त्रण साधनों से अलग रखा गया है।
- (ii). ओ एम डी यातायात टापू (आईजलैण्ड) पर अनुमत नहीं होगा।
- (iii). जहां वाहन रास्ते इतने अधिक भटकाऊ है कि उस पर आने वाला यातायात स्थलाकृति या सधन पेड-पौधें के कारण दृश्य (स्पष्ट) नहीं है।
- (3) देशान्तरीय स्थापना (चालक घबराहट नियन्त्रण)
  - (i) देशान्तरीय स्थापना ओ एम डी तथा यातायात प्रतिकूल बिन्दु, सरकारी यातायात चिह्न तथा अन्य ओ एम डीज (अर्थात् विज्ञापन सधनता को कम करना) के बीच न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करता है।
  - (ii) ओ एम डीज के स्थापन द्वारा यातायात के बहाव को सूकर बनाने तथा द्वारा हुये किसी यातायात बाधा से बचने के लिए किसी साधन के देशान्तरीय स्थापन को अन्तिम रूप देते समय निम्नलिखित का अनुपालन किया जायेगा, ओ एम डी ने स्थापना के लिए दूरी मुख्य वाहनरास्ते या जंकशन (संयोजन), चौराहे, गोल चक्कर इत्यादि से मापी जाएगी।
  - (iii) सम्बन्धित आई आर सी संहिता लागू होगी

#### पार्श्व – स्थल चयन मानदण्ड

पार्श्व स्थ	गपन के लिए स्थल चयन मानदण्ड	
पथों की	संख्या / मीटर में मुख्य सड़क की चौड़ाई (डब्लयू)	मीटर में न्यूनतम सीधी सड़क से स्पष्ट दूरी
(i)	< 4 पथ / < 14 एम अविभाजित / विभाजित वाहनमार्ग	6
(ii)	> 4 पथ / < 6 पथ सहित अविभाजित / विभाजित वाहन मार्ग	10
(iii)	> = 6 पथ < 8 पथ सहित अविभाजित / विभाजित वाहनमार्ग	15
(iv)	> = 8 पथ सहित अविभाजित / विभाजित वाहनमार्ग	50

- (i). जहां पार्श्व स्थापन अपेक्षाएं तथा चालक घबराहट अपेक्षाएं किसी विशेष निर्बन्धन दूरी, द्वारा मुहैया कराई गई है, तो वृहतर मान्यताओं का प्रयोग किया जाएगा।
- (ii). जब साथ—साथ अवस्थित दो (2) ओ एम डी, अपने सामान्य रूप में भिन्न है, तो चालक घबराहट संम्भावना प्रत्येक साधन के लिए अलग से अवधारित की जाएगी।
- (iii). यदि ओ एम डी एक सड़क से अधिक से दृश्य है या सड़क की किस्म (जैसे कि मोटरमार्ग या मोटरमार्ग मानक सड़क तथा रैम्प या अन्य सड़क) प्रत्येक सड़क या सड़क की किस्म को लागू निर्बन्धन ओ एम डी सुस्पष्ट है, तो उसे निर्धारित करना चाहिए।

### (4) ओ एम डी की भौतिक विशेषता

- (i) भौतिक विशेषता पर नियन्त्रण के उपयोग को चालक घबराहट के स्तर को कम करना आशयित है। बाहरी मीडिया साधन की भौतिक विशेषताओं का नियन्त्रण निम्नलिखित से सम्बन्धित है:
  - क. आकार तथा आकृति
  - ख. रंग
  - ग. चित्रावली तथा संदीप्ति
  - घ. संचलन तथा चकानुकम
  - ड ओ एम डी विषय-वस्तु

### (ii) आकार तथा आकृति

- क. ओ एम डी ऐसी आकृति का प्रयोग नहीं करेगा जो संभवतः किसी ओ एम डी से सरकारी यातायात चिहन की वास्तविकता के लिए भ्रान्तिपूर्ण होने का परिणाम हो सकता हो।
- ख. भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा आई आर सी: 67–200 / सड़क चिह्न की प्रक्रिया की संहिता सरकारी यातायात चिह्न के मूल डिजाईन पैरामीटरों को विहित करती है तथा इसमें मानक संकेतः वाक्य / अप्रकाश्यता रंग संयोजन शामिल है।

### (iii) रंग

- क. ओ एम डी ऐसे रंग संयोजन (सिम्मिश्रण) का प्रयोग नहीं करेंगे जो संभवतः सरकारी यातायात चिहन के भ्रान्तिपूर्ण होने का परिणाम हो।
- ख. भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा आई आर सी : 67–200 / सड़क चिह्न की प्रक्रिया की संहिता सरकारी यातायात चिह्न के मूल डिजाईन पैरामीटरों को विहित करती है तथा इसमें मानक संकेतः वाक्य / अप्रकाश्यता रंग संयोजन शामिल है।

### (iv) चित्रावली तथा संदीप्ति

- क. ओ एम डी भड़कीले लाल, नीले या अम्बर बिन्दु प्रकाश स्त्रोत के बराबर नहीं होगा जो, जब सड़क से देखने पर, आपातकालीन सेवा या वाहन चेतावनी प्रकाश के अन्य विशेष प्रयोजन का आभास दे सकता है।
- ख. ओ एम डी से सम्बद्ध सभी प्रकाश केवल ओ एम डी तथा इसके ठीक आस—पास को निर्देशित करेंगे।
- ग. बाहरी चित्रावली स्त्रोतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कवच किया जाएगा कि बाहरी ''स्थान'' प्रकाश स्त्रोत पास आने वाले मोटरचालक पर निर्दिष्ट न हो।
- घ. ओ एम डी की चित्रावली या उसके सम्पूर्ण भाग को छिपाया जाना है।
- ड. साधन के ऊपरी प्रकाश / निर्देश को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, किसी बाहरी प्रकाश निदेश को नीचे का ओर किया जाना है तथा ओ एम डी से बाहर प्रकाश को रोकने या प्रकाश को कम करने के लिए ओ एम डी पर सीधे रूप से फोकस किया जाना है।
- च. किसी प्रकाश स्त्रोत को कवच किया जाएगा ताकि चकाचौंघ ओ एम डी से बाहर न
- छ. गैर-स्थैतिक प्रदीप्त ओ एम डी (कोंधवती) अनुमत नहीं हैं।
- ज. सामान्य अनुरक्षित संदीप्ति को 0.5 दीपाधार तक कम किया जाएगा या 2300 बजे (11 बजे सांय) के बाद तथा स्वतः समय यन्त्र द्वारा सूर्योदय के बाद या समय—समय पर नगर निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समय के बाद बन्द किया जाएगा।
- झ. पूर्व परावर्तक सामग्री वाले ओ एम डी के चमकीले परावर्तन को कम करने के उद्देश्य से वाहन हैडलाइट बीम की साधारण रेखा से लगभग 5 डिग्री दूर से घुमाया जाएगा।

### (v) संचलन तथा चकानुकम

- क. गतिमान प्रदर्शन बाहरी उद्दीपक से मोटरचालक के उत्तर समय पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण व्याकुलता प्रभाव डालता है। गतिमान, घूर्णी या परिवर्तनशील संदेश वाले ओ एम डी अनुमत नहीं हैं (केवल सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर चिपकाए गए विज्ञापनों के सिवाए)।
- ख. यह अनुमित मानदण्ड यातायात प्रबन्धन / सूचना के लिए सड़क प्राधिकरणों द्वारा प्रयुक्त परिवर्तनशील संदेश प्रदर्शन को लागू करने के लिए आशियत नहीं है। बस अड्डे या समरूप स्थानों पर स्थित परिवर्तनशील संदेश प्रदर्शन जहां संदेश पैदल यात्रियों (मोटरचालकों के लिए नहीं) पर निर्दिष्ट है, तथा के लिए आशियत शामिल नहीं है।

### (vi) विज्ञापन साधन विषय-वस्त्

नगर निगम सामान्यतः न्यूनतम विज्ञापन मानक लागू करने के लिए विज्ञापन उद्योग में स्वतः विनियामक नियन्त्रण पर विश्वास रखेगा। इस प्रस्ताव के होते हुए भी, नगर निगम ओ एम डी के किसी विज्ञापन को संशोधित करने या हटाने के लिए कार्रवाई कर सकता है जो विज्ञापन उद्योग की नीतिशास्त्र संहिता के उल्लंघन में हो (उपनियम 12(3) में उपबन्धित नकारात्मक विज्ञापनों की सूची संदर्भित या जो यातायात बाधा का अन्यथा कारण बनता हो।

### (vii) सुवाच्यता

- क. ओ एम डी (ओ एम डी से भिन्न जो पैदलयात्रियों पर निर्दिष्ट हैं) के सभी प्रवर्गो के लिए, ओ एम डी के मुख पर अवतरण घटक यात्रा करने वाले मोटरचालकों के लिए आसानी से इन्द्रियगोचर होने चाहिए। यह चालक की घबराहट को कम करेगा। इसके अतिरिक्त चिह्न शीघ्र तथा आसानी से समझने वाले होंगे तािक दर्शक को अपेक्षित विज्ञापन संदेश सूचित किए जा सकें तथा घबराहट के समय को कम कर सकें।
- ख. ओ एम डी पैनल पर प्रदर्शित विषय—वस्तु या लेखा चित्र—कला अभिन्यास पढने में किटनाई से बचाएगी तथा अधिचित्र जिटल नमूना आकृति से बचाएगा तथा अक्षर शैली उचित होगी। किन्ही भी पिरिस्थितियों में सूचना वाले साधन अवतरण आकारों में नहीं होने चाहिए, जो चालक या गितमान वाहन के यात्री को रूकने, पढने तथा / या नोट करने आवश्यक होंगे, जो यातायात के निर्बाध बहाव तथा चालक को विभ्रान्त करने में हानिकारक हो।
- ग. सभी ओ एम डी इस प्रकार से डिजाईन किए जाएंगे कि उन्हें सादृश्य रखा जा सके, जहां, साधारण नियम के अनुसार, अक्षर जब तक नगर निगम द्वारा अन्यथा अनुमत न हो, तब तक अक्षर ओ एम डी क्षेत्र के 20 प्रतिशत से अधिक के क्षेत्र में दिखाई नहीं देना चाहिए।

### स्थापना, संचालन तथा अनुरक्षण विकास मानदण्ड़

- (1) निम्नलिखित मानदण्डं भी लागू होंगे :--
  - (i) निर्माण, अनुरक्षण तथा परिवर्तन गतिविधियों के लिए ओ एम डी को सुरक्षित पहुंच उपलब्ध होगी।
  - (ii) ओ एम डी तथा आस-पड़ोस के क्षेत्रों को स्वच्छ तथा साफ-स्थरी अवस्था में रखा जाएगा।
  - (iii) अप्राधिकृत वृक्षहीन क्षेत्र, पेड़-पौधों की छंटाई करना, कटाई तथा जलाना या वनस्पती का अन्यथा हटाना या विनाश करना अनुमत नहीं है।
  - (iv) यानीय तथा पैदल यातायात को अनुग्राही बनाने के अलावा, सड़क आरक्षण उपयोग सेवाओं के लिए कोरीडोर हैं जैसे कि बिजली, दूरसंचार, गैस, वर्षा पानी, जल आपूर्ति तथा सिवरेज (मलजल)। इन सेवाओं के स्थान सड़क आरक्षण के भीतर इन सेवाओं को स्थापित करने के लिए उनके अपने विधायी अधिकार सहित अन्य अभिकरणों द्वारा ज्ञात है।
  - (v) नगर निगम सभी भूमिगत सेवाओं के सही स्थान को नहीं जानता। स्वामी किए जाने वाले स्थल कार्यो पर कोई उत्खनन या निर्माण करने से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकरणों से समन्वय करने, सूचना देने तथा संसूचित करने के लिए जिम्मेवार है। कोई दायित्व, विलम्ब या दुर्घटना जो घटती है, की सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वामी की है तथा किसी भी रूप में नगर निगम करार या इस उप–विधियों में नियत सहायता, समर्थन, बातचीत करने या किसी शर्त को हटाने के लिए दायी नहीं होगा।
  - (vi) ओ एम डी के स्वामी यह सुनिश्चित करने के लिए एक मात्र जिम्मेवार हैं कि किसी ओ एम डी के निर्माण, अनुरक्षण, परिवर्तन तथा कार्यवाही के दौरान, साधन सड़क आरक्षण के भीतर सेवाओं या अन्य बातों के प्रतिकृल नहीं होगा।
  - (vii) नगर निगम उपयोगिता सेवाओं जैसे कि बिजली, दूरसंचार, गैस, वर्षा पानी, जल आपूर्ति तथा मलजल (सीवरेज) द्वारा किए गए कार्य को सूकर बनाने के लिए या सड़क को चौड़ा करने के लिए किसी ओ एम डी को या तो बदलने या पूर्णतया हटाने के लिए स्वामी को कह सकता है।

### 4. संरचना

- (1) ओ एम डी संरचना यन्त्र संरचनात्मक इंजीनियरी के क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले किसी संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित होंगे। यह अपेक्षा विशिष्ट दृष्टान्तों को लागू नहीं है जहां ओ एम डी संरचना के बाहरी हिस्से से सीधे रूप से चिपकाए गए विज्ञापन के रूप में है अर्थात् वाहन, दीवार आवरण पर चिपकाया गया स्टीकर।
- (2) यह प्रमाणन सम्बन्धित भारतीय संरचनात्मक डिजाईन मानक, व्यवसाय संहिता तथा इस मार्गदर्शक की शर्ती सिहत डिजाईन का अनुपालन प्रदान करता है। नींव अत्यधिक हवा अवस्था, भूकम्प, क्षमता वाली मिट्टी इत्यादि के अनुसार डिजाईन की जाएगी तथा जांच की जाएगी।
- (3) सहायता संरचना चकाचौंघ रोकने के लिए अपरावर्तक परिष्कार की होगी।
- (4) ओ एम डी संरचना भली–भान्ति अनुरक्षित होगी। ऐसे रंग से रंगी जाएगी जो आस–पड़ोस क्षेत्र से संगत हो, तथा उसको बढाता हो।
- (5) सरकारी सड़क फर्नीचर जैसे कि सरकारी चिह्नों तथा चित्रक मार्गदर्शन स्तम्भों को ओ एम डी की सहायता संरचना के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।
- (6) ओ एम डी लाईसैंस धारक का नाम, लाईसैंस की संख्या / मीडिया साधन पहचान संख्या इत्यादि ओ एम डी पर सहजदृश्य स्थिति में रखी जाएगी जो नगर निगम द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जा सकेगी।

### 5. विद्युत कनैक्शन

ओ एम डीज के विद्युत कनैक्शन सम्बन्धित भारतीय मानकों को पूरा करेंगे।

- (2) ओ एम डीज के विद्युत कनैक्शन यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाईन किए जाएंगे कि यहां कोई भी सुरक्षा या यातायात जोखिम नहीं है।
- (3) ओ एम डीज के विद्युत कनैक्शन आकस्मिक पछाड़ की घटना में सुरक्षित के रूप में डिजाईन किए जाएंगे।
- (4) स्वामी बिजली उपभोक्ता है तथा वह अपने स्वयं के नाम से प्रदीप्त प्रदर्शन करने के लिए सम्बन्धित बिजली वितरण कम्पनी से बिजली कनैक्शन प्राप्त करने के लिए बिजली कनैक्शन हेतु आवेदन करेगा, जिसके लिए नगर निगम/सम्बन्धित भूमि स्वामित्व रखने वाला अभिकरण स्वामी के अनुरोध पर अनापत्ति प्रमाण पत्र मुहैया करवाएगा।
- (5) विद्युत कनैक्शन तथा आपूर्ति के लिए कोई प्रभार प्रत्यक्ष रूप से स्वामी द्वारा उपगत किए जाएंगे। स्वीकृति/बिल व्यवस्था के लिए बिजली प्रदायक के पत्र की एक प्रति नगर निगम को प्रस्तुत की जाएगी।
- (6) विद्युत संस्थापना कार्य सम्बन्धित बिजली विनियम तथा लिखित नियमों तथा सम्बन्धित बिजली प्रदायक की अपेक्षाओं के अनुसार अनुज्ञप्त इलैक्ट्रीकल कर्मकार द्वारा किया जाएगा।
- (7) उपयुक्त रोधन तथा संरक्षण उपकरण तथा प्रकिया या तो ओ एम डी या सड़क प्रकाश सर्किट संरक्षण अनुरक्षण तथा कार्यरत सेवा कार्मिक के संगत होगी। भूयोजन (अरथिंग) के लिए एक पृथक मिट्टी इलैक्ट्रोड का प्रयोग किया जाएगा, तथा सिक्य तथा निशंवेशित चालक केवल आपूर्ति बिन्दु से आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।
- (8) खाका योजना स्थान जहां से बिजली विभिन्न अन्य आनुषंगिक अपेक्षाओं की स्थिति सहित प्राप्त की जा रही है, दर्शाते हुए सरकारी प्राधिकरण को उसी क्षेत्र में पेशा करने वाले अर्हक विद्युत इंजीनियर द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित, प्रस्तुत की जाएगी।
- (9) विद्युत ठेकेदार के जांच प्रमाण–पत्र की प्रति नगर निगम को मुहैया कराई जाएगी। स्वीचिंग यन्त्र विद्युत प्रदायक द्वारा अनुमोदित किस्म का होगा। विद्युत घटक सम्बन्धित भारतीय मानकों के अनुसार होगा।

### 6. विविध

- (1) आवाज, गन्ध इत्यादि द्वारा संचारण करने वाले ओ एम डी अनुमत नहीं हैं।
- (2) किसी बाहरी विज्ञापन साधन की चित्रावली के लिए बिजली मुहैया कराने हेतु शोर, वायु या जल प्रदूषण करने वाला डीजल / पैट्रोल / मिट्टी तेल या किसी बायो ईंधन से चलने वाला कोई भी जरनेटर अनुज्ञात नहीं होगा।

### 7. गैर-अनुज्ञेय बाहरी विज्ञापन की सूची

- (1) पोस्टर
- (2) बैनर
- (3) पिलरों पर विज्ञापन / तोरण से बंधा साधन

### 8. नवीनतम ओ एम डी

- (1) नवीनतम ओ एम डी जैसे कि एल ई डी, एल सी डी तथा अन्य ऐसे मीडिया के लिए विशेष अनुमित प्राप्त की जानी अपेक्षित होगी।
- (2) यह अनुमोदन विनिदिष्ट अवधि के लिए होगा, तथा इन उप-विधि 6 के अनुसार होगा।
- (3) चालन करते समय चालक पहली दृष्टि में सड़क से चिह्न की विषय—वस्तु को पढ़ेगा, तथा फिर वापस सड़क पर देखेगा। एल ई डी चिह्न (रंग परिवर्तन के बिना) भवन आकृति (अग्रभाग) पर विज्ञापन के स्वीकार्य फारमैट में है चूंकि ये विशिष्ट ब्राण्ड नामों का निरूपण करने के लिए अनुमानित है तथा उच्च दृष्य सूचना वाले नहीं होते हैं।
- (4) तथापि, एल सी डी / एल ई डी स्क्रीन जो विशिष्ट रूप से लेखा—चित्रकला तथा दृष्य प्रतिकृति की हैं, वे मार्किट क्षेत्रों, पार्किंग स्थानों, पार्को, भ्रमण मार्ग, मुख्यतः यातायात के यानीय संचलन के सामने न हों, में प्रतिबन्धित होंगी।
- (5) इसके अतिरिक्त, वाई—फाई होटस्पोट, मोबाईल टैलीफोनी ऐनटिना / टावरों के वितरण के लिए ओ एम डी का प्रयोग विशेष परियोजना रिपोर्ट के आधार पर अनुमत होगा।
- (6) पूर्वोक्त के अतिरिक्त, अन्य मानदण्ड निम्नलिखित हो सकते हैं :
  - (i). प्रदर्शन के भीतर संचलन की प्रायिकता तथा प्रसार तथा रंग परिवर्तन।
  - (ii). ओ एम डी केवल वहां लगाए जाने चाहिए जहां अपेक्षित चिह्न दृश्यता समय विशेष परिसर के लिए सुरक्षा समस्या का परिणाम न हो।
  - (iii). चिह्न पढने के लिए पर्याप्त अग्रिम दृश्यता हो।
  - (iv). परिसर चालक निर्णय बिन्दुओं से मुक्त हो तथा वहां सरकारी यातायात चिह्न में कोई होड़ न हो।
  - (v). साधन कोई गतिमान ओ एम डी न हो।
  - (vi). लम्बी अविध प्रदर्शन मीयाद चालक घबराहट को कम करने तथा गितविधि को समझने की मात्रा को कम करने का उद्देश्य अधिमत है। प्रत्येक स्क्रीन कम से कम 8 सैकेण्ड की प्रदर्शन अविध की होगी। परिवर्तन करने के लिए क्रिमक प्रदर्शन हेतु लिया गया समय 0.1 सैकेण्ड में होना चाहिए।

- (vii). सम्पूर्ण स्क्रीन प्रदर्शन तत्काल प्रतिवर्तित होना चाहिए। प्रदर्शन परिवर्तन का ढ़ंग जैसे कि ''फ्लाई ईन'' या ''स्क्रोल'', या सन्देश परिवर्तन की कोई अन्य किस्म अनुशंसित नहीं की गई हैं।
- (viii). कमिक संदेश सेट अनुज्ञात नहीं है :
- (ix). समय सीमा समय-समय पर पुनरीक्षित की जाएगी।
- (7) आज विश्व गतिशील है, प्रत्येक दिन नई प्रौद्योगिकी विकसित हो जाती है, पॉलिसी इन नई प्रौद्योगिकीयों को अपनाने के लिए खुली होगी बशर्ते कि वे किसी सामान्य अनुमित मानदण्ड के उल्लंधन में न हों, तथा नगर निगम द्वारा भी अनुमोदित होंगी। किसी ऐसे माध्यम को लागू करने से पूर्व नगर निगम से अनुमित ली जाएगी।

### 9. अनुमति मानदण्ड

- (1) सभी परिसरों में ओ एम डी/कारबार/व्यापार चिह्न वाणिज्यिक क्षेत्रों में तथा संस्थागत क्षेत्रों के भीतर प्राधिकृत कारबार/व्यापार स्थापनाओं में प्रतिबन्धित होने चाहिए।
- (2) ओ एम डी आवासीय क्षेत्रों में अनुमत नहीं हैं।
- (3) परिसर में प्रदीप्त ओ एम डी कम से कम 12 मीटर चौड़ाई सहित गली में आवासीय क्षेत्रों के सामने दुकानों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अनुमत नहीं हैं।
- (4) ओ एम डी किसी भी रूप में वृक्षों या झाड़ियों में नहीं लगाए जाएंगे।
- (5) कोई भी व्यापार तथा कारबार चिह्न, संदेश, पोस्टर या किसी स्वरूप की मुद्रित सामग्री किसी समर्थित कालम, स्तम्भ या खम्भे पर नहीं चिपकाई जाएगी।
- (6) परिसर में ओ एम डी किसी रूप में किसी पैदल संचलन (अनुलम्ब रूप से तथा पार्श्व रूप से), अग्नि बचाव, दरवाजा तथा खिडकी खोलने में बाधा नहीं डालेगा।
- (7) परिसर में ओ एम डी किसी भी रूप या रीति में प्रकाश तथा संवातन के लिए अपेक्षित द्वार में बाधा नहीं डालेगा।
- (8) किन्हीं भी परिस्थितियों में परिसर में ओ एम डी बाधा डालने या किसी पारदर्शी / पारभासी सतहों / द्वार के सामने की रूपरेखा बदलने के लिए स्थान निर्धारित नहीं किया जाएगा।
- (9) गैर—प्रदीप्त पारदर्शी / पारभासी चिह्न किसी भी स्तर के पारदर्शी / पारभासी बाहरी सतहों पर अनुमत किया जाएगा।
- (10) कोई भी व्यापार तथा कारबार चिह्न किसी भी रूप या रीति में अपेक्षित अग्नि सुरक्षा परिवहन/निकास स्थान तथा विहित मानकों में बाधा नहीं डालेगा।
- (11) सभी परिसरों पर ओ एम डी किसी भी परिस्थिति में परिसरों के भीतर की गई गतिविधि / गतिविधियों से भिन्न उनकों प्रतिबिम्बित नहीं होना चाहिए।
- (12) कोई भी ओ एम डी अतिरिक्त विज्ञापन—स्थल पर उपबन्धित, बेची गई या उपलब्ध उत्पादों या सेवाओं को ध्यान में रखे बिना परिसरों या स्थल के उपयोग के अनुमोदन से भिन्न उत्पाद या सेवा को उन्नत करने वाला नहीं होगा।
- (13) सभी परिसरों पर ओ एम डी में निम्न अनुसार अपेक्षित अनिवार्य सूचना होनी चाहिए:
  - (i). व्यापार तथा कारबार का नाम
  - (ii). दुकान/परिसर संख्या
- (14) सभी परिसरों पर ओ एम डी औचित्य, मर्यादा, सामाजिक मैत्री इत्यादि के बारे में प्रचलित विधियों के अनुरूप होना चाहिए।
- (15) सभी ओ एम डी दृश्य रूप से रूचिकर होगा तथा डिजाईन विशेषता के उच्च स्तर को प्रदर्शित करेगा।
- (16) सभी परिसरों पर ओ एम डी सतह / इमारत / भवन / खुले क्षेत्रों के संरचनात्मक / वास्तुशिल्पीय अनुशासन के सदृश होगा।
- (17) किसी चिह्न का माप तथा अवस्थिति न केवल भवन जिसमें यह चिपकाया गया है, के अनुकूल होना चाहिए बल्कि निकटतम भवनों, गलियों तथा विद्यमान चिह्नों को भी विचार में लिया जाना चाहिए।
- (18) सभी परिसरों पर ओ एम डी में प्रयुक्त सामग्री गैर-प्रदूषण, अग्नि विरोधी तथा हानि प्रूफ होनी चाहिए।
- (19) कोई नया चिह्न मीडिया साधन यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भवन, स्थल या संलग्न गली स्केप पर विद्यमान चिह्न का विचार करेगा कि चिह्न दृश्य तथा/या भौतिक घाल–मेल को बढ़ने नहीं देता है।
- (20) सभी चिह्न किसी भवन से अल्पतम प्रक्षेपण के होंगे।
- (21) केबिल तथा नाली को चिह्न के दर्शन से तथा सभी कोणों से किसी सहायता संरचना को छिपाना चाहिए जिसमें गली स्तर तथा निकटतम उच्चतर भवन से तथा रूपरेखा (क्षितिज) के विरूद्ध दृश्यता शामिल है।
- (22) किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन कोई भी चिह्न किसी अन्य चिह्न से समर्थित, लटका हुआ नहीं होगा या रखा नहीं जाएगा। प्रत्येक चिह्न स्वतः समर्थित या वास्तुशिल्पीय संरचना से सुरक्षित रूप से आबद्ध (फिक्सड) होगा।
- (23) भवन की छत पर रंगे हुए या लगाए गए चिह्न अनुमत नहीं है। छत पर छत से निर्मित तथा/या लटकते हुए चिह्न भी अनुमत नहीं है।

- (24) चिह्न सूचना कम से कम सौन्दर्य तथा यातायात सुरक्षा दोनों के हित में रखी जानी चाहिए।
  - (i) जहां अधीनस्थ सूचना अनुज्ञात की गईं है, वहां कारबार का नाम या उपयोग चिह्न पर प्रमुख संदेश होगा कोई भी अनुपूरक (जैसा कि बाईलाइन, उत्पाद विशिष्टियों, विक्रय प्रस्तावों में) तथा अधीनस्थ सूचना (पते, टैलीफोन नम्बर तथा अन्य ऐसे ब्योरे) जिस पर यानीय खिंचाव के साथ चालकों का ध्यान जाता है, अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे जैसा कि वे यातायात खतरा पेश करते हैं।
  - (ii) चिह्न अपरावर्तक होने चाहिए ऐसे कि वे मार्ग में चालकों पर चौंघ तथा चकाचौंघ न डालते हों। चिह्नों में शीशा पर्ण इत्यादि के रूप में परावर्तक सतह का प्रयोग नहीं करना चाहिए जैसा कि ऐसी सामग्री का प्रयोग यातायात में दृष्टि रूप से विघटनकारी है तथा आने वाले चालकों के लिए खतरनाक हो सकती हैं।
    - क. सभी अनुमत चिह्न भुगतानयोग्य उद्ग्रहण को आर्कषित करेंगे जो नगर निगम द्वारा रेखाचित्रित हैं।
    - ख. विज्ञापन साधनों के लिए न्यूनतम अनुलम्ब निकासी नीचे तालिका में विनिर्दिष्ट की गई हैं:--

विज्ञापन साधन -	– न्यूनतम निकासी		
स्थान वर्णन	न्यूनतम अनुलम्ब दूरी		
सामान्यतः	साधन के नीचे भूमि सतह पर उच्चतम बिन्दु से 2.5 मीटर		
सड़क सतह से ऊपर (इसमें शोलडर तथा यातायात लेन शामिल हैं) या साधन के किसी भाग स्पष्ट जोन के भीतर (सुरक्षा घेरे में नहीं) या सुरक्षा घेरे के झुकाव के भीतर है यदि कोई सुरक्षा घेरा लगाया गया है।	सधन के नीचे सड़क सतह पर उच्चतम बिन्दु से 6.5 मीटर		
सड़क अवसंरचना से संलग्न (अर्थात् ओवरपास)	सूचना—पट्ट अवस्थित होना चाहिए तािक विज्ञापन साधन का कोई भी भाग ओवरपास या तत्स्थानी अवस्थिति पर सहायक संरचना के नीचे न्यूनतम अनुलम्ब निकासी से निम्नतर न हो।		

### ग. विशिष्ट विज्ञापन साधन माप

वर्णन	माप (मीटरो में)	क्षेत्र (वर्ग मीटरों में)	अधिकतम उंचाई (मीटरो में)
लघु चित्र	3 X 4.5	13.5	7.5
पोस्टर	6 <b>X</b> 3	18	10
सुपर 8' एस	8.22 <b>X</b> 2.26	18.6	10
चित्र	4 <b>X</b> 6	24	10
सुपरसाईट	12.66 X 3.35	42.4	12.5
चमत्कारिक	18.99 <b>X</b> 4.45	84.5	12.5

घ. नगर निगम अधिमान देगा कि उपर्युक्त आकार को शहर में अधिक सौंदर्य लाने में वृद्धि करने हेतु प्रयोग किए गए है। जहां तक संभव हो, स्वामी उपर्युक्त मानक माप में से किसी एक का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे।

### 10. परिसर विज्ञापन पर अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र

(1) विज्ञापन परिसरों (जिसमें भवन तथा भूमि शामिल है) पर उपलब्ध अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र सार्वजनिक गली / सड़क से दृश्य कुल क्षेत्र (पट्टी) का 75 प्रतिशत (भवन के प्रत्येक अग्रभात पर) है। उक्त स्थान दुकान संकेत के लिए 2 प्रतिशत को मिलाकर होगा।

(2) जहां कोई भी निर्माण न हो या लघु निर्माण ऐसे मामलों में घटित हुए हैं, तो बाहरी मीडिया के लिए प्रतिशतता क्षेत्र भूमि क्षेत्र के प्रतिशत होगा अर्थात् माना गया एफ एस आई = 1. अर्थात् पैट्रोल पम्प, विकास इत्यादि के अधीन सम्पत्ति।

डॉ० महावीर सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानिय निकाय विभाग।

### HARYANA GOVERNMENT

#### URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

The 20th November, 2015

**No. 08/26/15-1CI.**— The following draft of the bye-laws, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (16) of section 392 G of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) is hereby published as required under section 394 of the said Act, for information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft bye-laws shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, Chandigarh from any person with respect to the following draft bye-laws, namely:—

### **Draft Bye-Laws**

Short title.
Definitions.

1

2

- These bye-laws may be called the Haryana Municipal Corporation Advertisement Bye-laws, 2015.
  - In these bye-laws, unless the context otherwise requires,-
    - (i) "Act "means the Haryana Municipal Corporation Act 1994 (16 of 1994);
    - (ii) "advertisement" means any representation by a word, or abbreviation thereof, letter, logo, symbol, sign, figure, painting, drawing or other pictorial representation, or light or sound, visible to public from any place on land, building, airspace, water in the control area and/ or visible from public place or public street subject to excluded media displayed on media device:
    - (iii) "advertising" means the act or process of displaying an advertisement;
    - (iv) "billboard/ hoarding" means an OMD with large space for advertising in the form of an advertisement panel and where such panel is mounted with its foundation on any structure either on ground or building;
    - (v) "building line" means the line up to which the plinth of a building may lawfully extend on the side, which abuts the street or an extension of a street or a strip of land ear-marked or reserved for future construction of street and such line is mentioned in the approved plan or co-ordination plan or the scheme by the Government Authority having jurisdiction or power;
    - (vi) "carriageway" means the width of the road where vehicles are free to move without any obstructions;
    - (vii) "commercial building" means a building used or constructed or adopted to be used or intended to be used wholly or partially for business purpose;
    - (viii) "control area" means the geographic area including airspace in the jurisdiction of the Municipal Corporation;
    - (ix) "display" means an advertisement being visible to public;
    - (x) "gantry "means a structure erected across a road and usually fabricated of metal section pillars fixed on either side of a road with a beam shaped section connecting the top of the pillars across the road with an advertisement on the face opposite to the direction of traffic:
    - (xi) "Indian Road Congress or IRC" means the applicable Indian Road Congress codes, regulations made and directions issued thereunder, from time to time;
    - (xii) "interested party" means any person who has in terms of these bye-laws submitted an application or submitted comments or an objection or made representations in respect of

- any such application;
- (xiii) "intersection" means the same level junction where two or more roads are either meeting or crossing;
- (xiv) "electronic hoarding"- means an OMD, with display made from LED (Light Emitting Diode) or LCD (Liquid Crystal Display) or any other electronic source, to display running text, displays and informational messages from computer programs and software or any other means;
- (xv) "National Building Code of India or NBC" means the National Building Code of India, 2005 and regulations made thereunder;
- (xvi) "OMD" means an Outdoor Media Device as set out in bye-law 14;
- (xvii) "owner" means legal owner of the property;
- (xviii) "property" means any unit of private or public land, including a public place, registered as a separate entity of land and includes any unit and land contemplated and/ or any public place depicted on the general plan of a city;
- (xix) "public building" means and include a building used or constructed or adopted to be used either ordinarily or occasionally, as a place of public worship, a theatre, hostel, Government office, public hall, public concert room, public lecture room, public exhibition or as a public place of assembly or occasionally for any similar purpose;
- (xx) "public place" means any place which is open for the use of the public;
- (xxi) "public street" means a road, street or thoroughfare or other Right of Way to which the public has a right of access or which is commonly used by the public and includes any portion of a Right of Way of public street including a footpath;
- (xxii) "registering entity" means any owner seeking permission for installing an OMD or having an intent for display of advertisement;
- (xxiii) "Right of Way or RoW" means the full width of a public street between building lines across such public street including the median, carriageway, service road, shoulder and footpath/ sidewalk and the air space above it;
- (xxiv) "road traffic sign" means any road traffic sign and traffic signal as contemplated in the IRC or any applicable Act;
- (xxv) "self advertising" means advertisement displayed in terms of bye-law 11;
- (xxvi) "street furniture advertisement" means an advertisement displayed on any public facility or structure which is not primarily intended for advertising and includes a seating bench, plant box, footpath litter bin, pole-mounted litter bin, public transport shelter, sidewalk clock, suburban name device and a street name, drinking fountain etc. of appropriate size and shape serving the functional requirement of such street furniture with advertisement either directly pasted/ affixed or in the form of a panel;
- (xxvii) "Structural Engineer" means a person who is a graduate in Civil Engineering of a recognized Indian or Foreign University or corporate member of Civil Engineering Division of the Institute of Engineers of India or equivalent Institute, with a minimum of three years of experience in structural engineering practice in designing structures and field work qualification in structural engineering;
- (xxviii) "structural stability certificate" means a certificate issued by a Structural Engineer;
- (xxix) "third-party advertising sign" means any OMD other than self advertising;
- (xxx) "temporary advertisement" means an advertisement/ OMD displayed for a maximum period of thirty days for any forthcoming event including entertainment events, festivals, mela, trade fair, conferences, road shows, but excluding self advertising;
- (xxxi) "trailer advertising" means an OMD mounted on a trailer, bicycle or vehicle, which is stationery or moving with the sole purpose of advertising;
- (xxxii) "urban design" means the actions of conceiving and managing the special and aesthetic characteristics of urban space between and around buildings, road including physical elements that make up the streetscape and the combined visual effect of building facades and other structures;
- (xxxiii) "wall wraps" means advertisement pasted/ affixed on glass/ surface of a building which has been used as architectural feature to cover/ form façade/ used as wall of a building.
- Only owners shall seek permission for installing an OMD from the Municipal Corporation by registering themselves with Municipal Corporation using online process as laid out in **Annexure 1**.
- (2) This registration is compulsory for self advertisers ("SA") as well as owners who want to install OMDs on their premises using online process as laid out in Annexure 1.

Application **3** (1) for registration.

- (3) Registration shall be valid for a period of ten years from the date of registration for self advertisers and five years for other owners who wish to install OMDs.
- (4) The registering entity shall deposit such registration fee as the Government may, specify, by an order, from time to time.

### Process for 4 registration.

- (1) Before registration, the Municipal Corporation shall ensure that:
  - (i) the registering entity, any one of its directors, owners have not been debarred by Municipal Corporation or any other Government agency for undertaking display of advertisement business:
  - (ii) the registering entity, its directors, owners do not have any outstanding dues with Municipal Corporation.
  - (iii) such approval shall be provided by Municipal Corporation within thirty days of submission of application.
- (2) After ensuring the facts as mentioned above, the Municipal Corporation shall issue a unique identity number to a registering entity.
- (3) The Municipal Corporation shall complete the process of registration process within thirty days and Commissioner shall issue an approval as set out in **Annexure 2**.

### Approval of OMDs.

5

- (1) Application for any OMD shall be made by submitting information in terms of **Annexure 3**.
- (2) The application form shall be accompanied with the following:
  - (i) processing fee as the Government may, specify, by an order, from time to time, which shall be non-refundable and non-adjustable in any manner whatsoever;
  - (ii) latest property tax paid receipt;
  - (iii) an undertaking that the owner is solely responsible for all acts/ deeds towards display of advertisement;
  - (iv) a drawing showing the locality plan, in color, indicating the proposed position (GPS coordinates) of the OMD and the distances in relation to any other structures, building, OMD situated within a radius of twenty five metres from the proposed OMD;
  - (v) complete specifications showing the dimensions of the OMDs and locations;
  - (vi) the design and the structure of the OMDs certified by a Structural Engineer, certifying the safety aspect from the point of view of its foundations which can bear extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with relevant Indian Structural Design Standards, policy and guidelines framed from time to time. The details shall include size of all members of supporting frameworks, anchorages and design calculations including proof of compliance with any other law, including but not limited to, the applicable acts and codes/guidelines including Indian Road Congress (IRC), the National Building Code of India (NBC) and the Environment (Protection) Act 1986, to the extent that such law is applicable;
  - (vii) if a proposed OMD is to be attached to, or displayed on, the facade of a building, an architectural drawing showing elevation and measurements of the building, and the detailed measurements and position of the proposed OMD and the position of every existing OMD on the building drawn to a scale of 1:1000 or as specified by the Municipal Corporation; and
  - (viii) any other information in the application form (Annexure 3), updated by the Commissioner, from time to time.

(1) While evaluating an application for OMD, Municipal Corporation shall ensure the following:-

- (i) that the application is in compliance with these bye-laws and the Act;
- (ii) that the application shall not be in contravention of any directives of any Court; and
- (iii) any other issue which Municipal Corporation may deem appropriate based on written representations, objections and comments received from any objecting party.
- (2) The Municipal Corporation, in its sole discretion, reserves its right to accept or reject any application.
- (3) An approval shall be for a maximum period as set out below:
  - (i) Type A and Type B: Equal to the agreement period between the concerned Government Agency and the concerned Agency;
  - (ii) Type C, Type D: 3 years;
  - (iii) Type E : As specified on case to case basis;
  - (iv) Type F: As specified on case to case basis;
  - (v) Type G/Self Advertising: 10 Years;

# Evaluation and scrutiny on applications.

- (vi) Type H: As specified on case to case basis;
- (vii) Type I: 3 years; and
- (viii) Type J: 3 years.
- (4) The Municipal Corporation, after following due process shall within thirty days, in writing and electronically, notify its decision to the applicant as per format attached as **Annexure 4**.
- (5) The license fee shall be payable to Municipal Corporation within seven days of issuance of Letter of Intent (LOI).
- (6) Any permission granted by Municipal Corporation pursuant to evaluation of an application, shall not be withdrawn by the owner prior to at least three months.
- (7) Where the registered entity proposes to make any change in the approved application, an additional processing fee equal to one quarter license fee (higher of succeeding or preceding quarter) shall be payable by the registered entity to the Municipal Corporation for makings any changes. Such approval shall be valid for period as set out in bye-law 6(3).
- (8) All existing OMDs shall comply with these bye-laws within a period of six months from the date of notification of these bye-laws.
- 7 (1) No approval granted in terms of these bye-laws have effect that:

Exception.

- (i) any person is exempted from any provisions of any other law applicable to advertising;
- (ii) any person is exempted from the provision, requirements and applicability of the Haryana Prevention of Defacement of Property Act, 1989 (11 of 1990);
- (iii) the owner of an OMD is exempted from its obligations to ensure that such sign is designed, erected, completed, displayed and maintained in accordance with the provisions of these bye-laws and any other applicable law including safety and security of public at large.

(1) Municipal Corporation may withdraw an approval granted or amend any condition or impose a further condition in respect of such approval if, in the opinion of the Municipal Corporation, the OMD concerned –

Withdrawal and amendment of approvals.

- (i) is or has, as a result of a change to the nature of the environment or the amenity of the neighborhood, streetscape or urban design existing at the time of such approval, become detrimental to the area in which it is located by reason of its size, intensity of illumination, quality of design, workmanship, material or its existence;
- (ii) constitutes, or has become, a danger to any person or property;
- (iii) is obscuring a critical and aesthetically important natural feature, architectural feature or visual line of civic, architectural, historical or heritage significance;
- (iv) is or has become prohibited in terms of these bye-laws or any other law;
- (v) is the part thereof falls either through an accident or any other cause;
- (vi) have any addition made to it except for the purpose of making it secure under the direction of the Municipal Corporation;
- (vii) have any changes thereof;
- (viii) upon the building or structure or property demolished or destroyed; and
- (ix) relates to any other site/ location, as may be decided by the Commissioner, Municipal Corporation in public interest, safety, aesthetics etc.
- (2) Prior to taking any decision mentioned in bye-law 8(1), Municipal Corporation shall issue notice to the owner, informing about its proposed decision. The owner within seven days of the date of notice, may make written representations concerning the proposed decision.
- (3) In case of partial or complete withdrawal of permission by Municipal Corporation, owner shall have to remove or amend within seven days the OMD at his risk and cost and refund of the balance amount of license fee shall be given to the owner within 30 days of such withdrawal.
- (4) The Commissioner shall give reasons in writing for its decision on receipt of a representation from an owner.

The Municipal Corporation shall adopt a transparent system for grant of permission for display of outdoor advertisements and monitoring of the same. Municipal Corporations shall develop an Information Technology based system for grant of such permissions and monitoring. Municipal Corporation shall prepare a GIS based Outdoor Media Master Plan for the areas which come under the jurisdiction of Municipal Corporation. All the existing and proposed OMD with their GPS coordinates shall be marked on the GIS map of the City and the same shall be available on the Website of Municipal Corporation.

IT based solution for application, renewal and monitoring.

(1)

8

- (2) Salient features of the system shall be as follows:
  - (i) these bye-laws and all notifications related to outdoor media shall be made available to general public by means of display of information on the website of Municipal Corporation;
  - (ii) online registration of entities shall be enabled and the registering entities shall be assigned a unique Identity number which shall be password protected for all future correspondence with Municipal Corporation in matters related to Outdoor Media;
  - (iii) all existing and proposed outdoor Media shall be GPS tagged and shall be available with Municipal Corporation on a GIS map of the City;
  - (iv) all applications for the installation of outdoor media shall be submitted online;
  - (v) each outdoor media site shall have unique code assigned to it which shall convey its ownership, location (GPS coordinates), type of media, size(area of display), advertisement/ license fee payable, validity of agreement for display of advertisement and any other information which in the opinion of Municipal Corporation is required to be coded;
  - (vi) approvals of all OMD shall also be given electronically by Municipal Corporation; and
  - (vii) all notices shall also be sent electronically to the defaulters.
- (1) After approval, OMD shall not be altered, removed, re-erected or upgraded, other than for maintenance work which may be required for the upkeep of an OMD, without prior written approval of the Municipal Corporation.
- (2) After approval, OMD shall not be altered, removed, re-erected or upgraded, other than for maintenance work which may be required for the upkeep of an OMD, without prior written approval of the Municipal Corporation.
- (3) Every power cable and conduit containing an electrical conductor for the operation of an OMD shall be so positioned and attached so that it is not unsightly.
- (4) No OMD shall be connected to any electricity supply without the prior written permission of the electricity supply authority/power distribution company concerned in owner's name and such permission shall, on request by an authorized official, be presented to them by the owner of the OMD concerned.
- (5) The electrical connections and components in all the OMDs shall be in accordance with relevant Bureau of Indian Standards (BIS), Indian Electricity Rules and designed to ensure there is no safety or traffic risk.
- (6) Generators which are running on diesel/ petrol/ kerosene or any bio fuel causing noise, air or water pollution shall not be allowed for providing power for illumination of any OMDs.
- (7) The owner of the OMD shall ensure that disposal of any type of material including media for display is disposed of as per the Environment Protection Act, 1986 and any other applicable laws/rules/bye-laws.
- (1) All OMDs shall follow the provisions of these bye-laws for purpose of self advertising only, however in following cases, OMDs shall be exempted from payment of any fee other than registration fee;-
  - (i) relating to a public meeting, to an election to Parliament, Legislative Assembly, Corporation or to candidature in respect of such election; (can be installed on only authorized spaces identified/ earmarked by the Municipal Corporation.)
  - (ii) if exhibited within the window of any building if the advertisement relates to the trade, profession or business carried in that building; or
  - (iii) relating to the trade, profession or business carried on within the land or building upon or over which such advertisement is exhibited or to any sale or letting of such land or building or any effects therein or to analyze, entertainment or meeting to be held on or upon or in the same; or
  - (iv) relating to the name of the land or building upon or over which the advertisement is exhibited, or to the name of the owner or occupier of such land or building; or
  - (v) relating to the business of a railway administration and is exhibited within any railway station or upon any wall or other property of the railway administration; or
  - (vi) relating to any activity of any department of the State Government or Union of India or the Municipal Corporation but excluding Board/ Corporations;
  - (vii) on a property where a building, swimming pool, tennis court, paving, fencing or garden landscaping or any other structure is in the course of being constructed, erected, carried out or altered and on which the activity concerned is described and the name of any architect,

General requirements for OMD.

Self

advertising.

11

10

contractor or consultant concerned in such activity is displayed and the branch of the industry or the profession involved is specified;

- (viii) media device for hawkers;
- (ix) handcarts; and
- cycle rickshaws. (x)
- 12 (1) In addition to any other prohibition, expressed or implied, in these bye-laws, no person shall erect, Prohibited maintain or display any OMDs or advertisements on:

- national parks, district forests and natural water bodies; (i)
- (ii) any wall posters and wall paintings;
- (iii) building of archaeological, architectural aesthetical, historical or heritage importance;
- places of worship or religious significance including temple, mosque, church and (iv) gurudwara etc;
- (v) statues, minarets or pillars of heritage importance;
- (vi) hospitals and nursing homes;
- educational institutions, libraries; (vii)
- cremation grounds, graveyards; (viii)
- areas classified as remnant endangered regional ecosystems; (ix)
- specific no advertisement zones/ areas notified by the Municipal Corporation from time to (x)
- traffic signals/ sign ages/ devices.
- (2) No person shall deface or cause to be defaced any device, mark, letter or words that may have been put up by the Municipal Corporation on the permitted OMDs/ advertisements by the Municipal Corporation; any contravention thereto shall be punishable under the Haryana Prevention of Defacement of Property Act, 1989 (11 of 1990); and the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.
- (3) In addition to any other prohibition, expressed or implied, in these bye-laws, the Municipal Corporation shall take necessary action to modify or remove the following advertisements or OMDs showing or expressing:
  - (i)
  - (ii) racial advertisements or advertisements propagating caste community or ethnic differences;
  - advertisement promoting drugs, alcohol, cigarette or tobacco items; (iii)
  - advertisements propagating exploitation of women or child; (iv)
  - (v) advertisement having sexual overtones;
  - advertisement depicting cruelty to animals; (vi)
  - advertisement depicting any nation or institution in poor light; (vii)
  - advertisement casting aspersion on any brand or person; (viii)
  - (ix) advertisement banned by any law;
  - (x) advertisement glorifying violence;
  - (xi) lottery tickets, sweepstakes entries and slot machines related advertisements;
  - destructive devices and explosives depicting items; (xii)
  - any psychedelic, laser or moving displays; (xiii)
  - advertisement of weapons and related items (such as firearms, firearm parts and magazines, (xiv) ammunition etc.);
  - advertisement which may be defamatory, trade libelous, unlawfully threatening or (xv) unlawfully harassing;
  - (xvi) advertisements which may be obscene or contain pornography or contain an "indecent representation of women" within the meaning of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986;
  - advertisement linked directly or indirectly to or include description of items, goods or (xvii) services that are prohibited under any applicable law for the time being in force, including but not limited to the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954, the Indian Penal Code 1860; and
  - (xviii) any other items considered inappropriate and notified from time to time by the Municipal Corporation.

13

14

1:5

OMDs on property of Municipal Corporation. The Municipal Corporation shall, from time to time identify locations and property within its jurisdiction, to allow new OMDs and prepare or up-date the master plan of outdoor media, simultaneously.

Formats of Outdoor Media Devices (OMD).

OMDs shall be classified as per details set out in Annexure 5 and with permissible dimensions set out in Schedule 1.

License fees

- The license fees in terms of section 121 of the Act shall be payable by the owner in advance on (1) annual basis at such rates as the Government may, specify, by an order, from time to time.
- (2) In case of removal of advertisement by Municipal Corporation on account of reasons attributable to Municipal Corporation, pro-rata amount shall be credited to the owner.
- (3) In addition to the license fee, the registered entity shall deposit bank guarantee of an amount equivalent to the quarterly license fee payable to the Municipal Corporation in advance, valid for license period.
- (4) The license fee shall be applicable immediately on notification of these bye-laws on all OMDs including existing OMDs as the Government may, specify, by an order, from time to time.
- (5) All the applicable taxes shall be paid by the owner of the OMD in addition to the license fee.

16 Inspections.

- (1) The Commissioner or an officer nominated by him shall for any purpose relating to the implementation and enforcement of these bye-laws, carry out an inspection of any OMD.
- The Commissioner or an officer nominated by him, shall before the commencement of, or during an (2) inspection, at the request of the owner, produce written confirmation of his appointment as a nominated officer empowered to carry out inspections for the purposes of these bye-laws.
- An officer nominated by the Commissioner shall carry out the inspection with respect to "Outdoor (3) Advertising Media Device Audit form" as notified by the Municipal Corporation, from time to time.

(1) Subject to provisions in these bye-laws,-

- (i) the owner is responsible for maintaining the device and the surrounding area so that it does not become unsightly or deteriorate to such a degree that it is in conflict with any provision of these bye-laws;
- (ii) an owner shall carry out at least once in three months inspection of an OMD with a view to satisfying himself that it has been properly maintained and forthwith carry out any necessary maintenance resultant upon such inspection; and
- (iii) an owner shall keep a written record of any inspection made, maintenance carried out and shall retain record of it and make the same available for perusal on request by an authorized officer of the municipal corporation.
- The owner shall ensure that a metallic plate (minimum size of one feet by one feet) with the (2) embossed logo of Municipal Corporation providing details of approval of Municipal Corporation and details of the OMD, as required by Municipal Corporation, are displayed and maintained in good condition at all times. Failure to do so shall result in penalty as specified in the Act.
- If in the opinion of Municipal Corporation, any OMD is in a dangerous or unsafe condition or has (3) been allowed to fall into a state of disrepair or is in conflict with any requirement of these bye-laws, Municipal Corporation shall serve a notice on the owner to remove/ maintain the OMD, within the specified period and owner shall be required to comply thereof or take suitable action.
- (4) If the Municipal Corporation is of the opinion that an OMD constitutes an imminent danger to any person or property, it shall without serving, or if such a notice has been served but not complied with within the period specified therein, remove/ maintain the OMD.
- The cost incurred for the removal and storage of an OMD, and any other costs incurred by the (5) Municipal Corporation as contemplated in bye-law 17(4), shall be recovered from the owner. The OMD shall be removed at the risk of the owner by the Municipal Corporation.
- If an OMD has been removed in terms of bye-law 17(4), Municipal Corporation shall promptly in (6) writing inform the owner, about such removal of OMD.
- Any OMD which has been removed and stored in terms of these bye-laws shall be released to its (7) owner subject to payment of fee/ charges as the Government may, specify, by an order, from time to

Maintenance 17 of OMDs and removal of

unauthorized advertisements time.

- (8) An unauthorized outdoor advertisement shall be removed promptly by the Municipal Corporation. The Municipal Corporation shall immediately dispose of such advertisement/ structures on as-is where-is basis and shall prepare and implement such adequate process for such removal and disposal process.
- (9) The entire list of authorized OMDs shall be displayed, without ownership display, for scrutiny by public at large and advertising companies, advertisers, brands to identify and ensure that the advertisement being released by them is being mounted only on authorized OMDs. Failure to comply with above requirement shall be punishable under the Haryana Prevention of Defacement of the Property Act, 1989 (11 of 1990) and action against brand; manufacturer shall be taken by way of penalties as specified in the Act.
- 18 The owner of a property upon which an OMD is erected, attached or displayed, shall retain certified copies Documen of all documentation relating to the application for approval of such device in terms of these bye-laws, for as tation. long as that device is erected or displayed, and shall on request by an authorized official, present such documentation.

tion of

ations

represent

- If any written comments, representations or objections have been received in respect of an 19 (1) application from any interested party contemplated, the Municipal Corporation shall consider all such comments, representations and objections before taking a decision on the application.
  - An applicant shall within fourteen days after receiving any comments, representations or objections (2) to an application, submit a written response to the Municipal Corporation for consideration.
  - (3) If a response is not received within fourteen days period, the Municipal Corporation shall take a decision on the application concerned without any intimation to the applicant.
- 20 (1) Any notice that is required to, or may be served, delivered or given in terms of, or for the purposes of these bye-laws, shall be served in any of the following ways:-

by sending a copy of the notice by registered or under postal certificate to the last-known (i) address of the person concerned/owner, and, unless the contrary is proved, it is deemed that service was effected on the seventh day following the day on which the document was posted:

- (ii) by faxing a copy of the notice to the person, if the person has in writing furnished a fax number to the Municipal Corporation Authority;
- by forwarding the notice through e-mail at the registered E-mail ID; and (iii)
- (iv) by handing over a copy of the notice to the owner or any of the authorized representative of owner.
- 21 (1) Any person, whose rights are affected by a decision of Commissioner and an officer nominated by Appeal. him in terms of or for the purposes of these bye-laws, may appeal against that decision to the Divisional Commissioner of the Division.
  - (2) Before lodging an appeal, the affected person shall submit representation for seeking review of the decision of Commissioner and an officer nominated by him.
- 22 (1) Whosoever contravene any of the provisions of these byelaws, shall be liable to fine/ penalty as Offences specified under the Act.
  - In case of continuing violation beyond fifteen days, the entire building shall be debarred for display (2) of advertisements and existing sites shall be declared unauthorized. It shall remain unauthorized for a minimum period of one year or till such OMD is made to comply with bye-laws, whichever is later. This fine shall be over and above the license fee which is required to be paid for unauthorized display of advertisement.
  - In case of unauthorized media installed by any unregistered entity, the owner of the OMD and the (3) advertising companies, advertisers, brands (entity responsible for releasing/ placing advertisement on the said media) shall each be liable to a fine/ penalty specified under the Act. This fine shall be over and above the license fee which is required to be paid for unauthorized display of advertisement.
  - (4) In case more than three separate instances of violation of OMD have occurred with the same owner, shall lead to blacklisting of the owner including its Directors for a period of three years. Due to aforesaid blacklisting of the owner and Directors, other OMD with the owner shall automatically become unauthorized. Reintroduction of eligible OMD shall be possible with fresh application

from interested parties.

Serving of notices.

and penalties. requiring submission and evaluation.

Insurance. 23

- (1) The owner of the OMDs shall provide and keep in full force and effect in the joint names of the owner and the Government authority a public liability insurance policy for their respective rights, interests and liabilities to the third parties in respect of accidental death, bodily injury to persons or accidental damage to the property.
- (2) The format of public liability policy of insurance shall be such as specified and shall be effected with an approval of insurer in writing and on terms approved by the Municipal Corporation.
- (3) The owner shall produce evidence of the insurance affected and maintained for the purposes, to the Municipal Corporation.

Indemnity. 24

- (1) OMD owner/ applicant shall be required to indemnify the Municipal Corporation for the designated OMDs and activities against all actions, proceedings, claims, demands, costs, losses, damages and expenses which may be brought against, or made upon the Municipal Corporation which arise as a result of the installation or existence of OMDs.
- (2) The OMD owner shall always be responsible for any injury or damage caused or suffered by any person or property arising out of or relating to the display of advertisement and the consequential claim shall be borne by the owner who shall also indemnify and safeguard the Municipal Corporation, its employees or any entity employed/appointed by Municipal Corporation.

### Annexure 1

### **Registration Form**

(See bye-law 3(1) and 3(2))

### Municipal Corporation of .....

### Registration for display of Outdoor Advertisement

1. 2. 3.	Name of Company/ Firm/ Agency/ Owner Registered Address: Telephone Contacts:Bus	iness:		
4. 5.	E-Mail Address:			
	Serial Name number.	Mobile No.	E mail Addre	SS
	(i)			
	(ii)			
6. 7. 8. 9.	Service Tax Number:			
10.	The applicant firm/company has not bee Government entity in the last 3 years.	n blacklisted by any	Yes	No 🗀
11.	The applicant firm/company has no pend	ling dues.	Yes	No $\square$
12.	If yes please specify the total pending du	ies	Yes	No 🗀
13.	The applicant firm/company has no cour	t case pending	Yes 🗀	No 🗀
	I/we shall hereby abide the terms and co of advertisement bye-law/policy framed Corporation. Also the information listed genuine and incase of adverse findings registration shall stand cancelled.	by the Municipal above is true and	Yes	Agree

	as specified by the Commissioner, Municipal Corporation time to time at Municipal of "The Commissioner, Municipal Corporation of, payable at	Corporation office in
		SUBMIT
	This is a typical format only and is subject to modification/amendments by the Municfrom time to time. Latest version from the website to be used always.	cipal Corporation of
	Annexure 2	
	Approval Form	
	(See bye-law 4(3))	
No To,	Date:	
	Please refer to your application no, dated for registration of in Device for Display of Outdoor Advertisement.	stallation of Outdoor
Dear Si	r,	
Corpora	This is with reference to your application regarding registration with Municationfor installation of an Outdoor Media Device for display of outdo	
It is to i	nform that following decision has been taken in consideration of your application:	
1.	Your application for registration is approved and unique identification nun	Iunicipal Corporation of
2.	Your application for new Media/ renewal is rejected on account of the following:  a. Incomplete application	
	<ul> <li>b. Incorrect information provided</li> <li>c. Pending dues with Municipal Corporation</li> <li>d. Blacklisted status not verified</li> </ul>	
	e. Others	
		Commissioner,
	Municipal Corpor	ration
Note <sup>1</sup> : Note <sup>2</sup> :	In case of rejection of application you may apply fresh on satisfying the above me This is a typical format only and is subject to modification/amendment by the Me from time to time.	

# Annexure 3 Application Form (See bye-law 5(1), 5(2)(viii))

FOR OFFICE USE ONLY										
District:	City:	Ward:		d:	Zone:			Permit Number:		
Road/ Street/ Addre	ess:									
Date Granted:			1	Applica	ation No	.:				
		•				••••				
Permit Issue Date:			I	Permit	Expired	Date:				
Section I – Fees (N	o Cash	accepted by	mail)							
Application Fee (no	n refun	dable)								
Account No.:			Banl	k Nam	e:			IPSC code:		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••				•••••				
Account Number:				Total fees charged:						
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									
Section II – Typol	ogy (Ch	eck the appr	opria	te box	)					
IPT Shelters  Bus and IPT route markers  Toilet Blocks		rpe B Traffic [Barricading Pylon [mounted devices Metro/MRTS/FOB Public transport Vehicles		O OMI on Publi land	)	Type D  Billboar  Unipole  Building Boards  Wall W  LED/ Electron	s	Type E,F, G and H  Temporary  Events  Tree Guards  Self  Advertising  Innovative		
Name of the applicant Name of the Unique Registration OMD ID:										
(Please print or type name of firm or individual desiring permit);		Directors:			No.:					
Mailing address:	City:			State:			Office phone no/mobile no.:			

Permanent address: City:		State:		P	Pin code:					
Section IV –Property							I			
Public										
Owner Name (person in	Address:		City	v.		Pin code:		Phone no.:		
control of property):	Address.					i iii code.		r none no		
Section V – Display locati	on informa	tion				<u> </u>		•		
Area:	Location:		Street: Land mark:							
Section VI – Media Specif	fication						1			
Height:			Ler	ngth:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Size	(in sq. ft	.)	
Material								Indicat	e Facing	
Metal Wood Others			Illumination Yes No					] 🗆		
								N S	E	W
Section VII – Required do	cuments							•		
Please upload the following documents:										
<ul> <li>Director's information</li> </ul> Upload						Upload				
Building Permit/Property Tax  Upload							Upload			
Pan No.	Pan No.							Upload		
■ Service Tax No.							Upload			
Certificate of Structural Engineer Ownership Details							Upload			
Agreement between the building owner and advertising agency      Agreement between the building owner and advertising agency						Upload Upload				
Coordinates of OMD With GPS Location  Photograph of the Site						Upload				
<ul><li>Photograph of the Site</li><li>Sketch plan of the site</li></ul>						Upload				
Pending Dues (if any)					Upload					
<ul> <li>Architectural Drawings (elevation, measurement scale 1:1000)</li> </ul>					Upload					
I/We, hereby abide by all provisions of bye-laws framed by the Municipal Corporation.										
(In case of offline submission, please take print out of this form and submit it with Demand Draft of such amount as specified by the Commissioner, Municipal Corporation in favour of "The Commissioner, Municipal Corporation of, payable at)										
SUBN							SUBMIT			
Note:- This is a typical format only and is subject to modification/amendment by the Municipal Corporation offrom time to time. Latest version from the website to be used always.										

### Annexure 4

### (See bye-law 6(4))

### Approval letter by the Municipal Corporation, ......

No	Date:
To,	
Device/	Please refer to your application no, dated for installation of New Outdoor Media renewal for Display of Outdoor Advertisement.
	This is with reference to your application regarding installation of NewOutdoor Media device/ for display of Outdoor Advertisement by your Company. Firm/ Agency with the Municipal Corporation,
It is to i	nform that following decision has been taken in consideration of your application:
1. 2.	Your application for New media/ renewal is approved for erection/ display of Outdoor media Device from
	Your application for new Media/ renewal is rejected on account of the following:  1. Incomplete application 2. Incorrect information provided 3. Pending dues with Municipal Corporation 4. Blacklisted status not verified 5. Others.
	Thanking you.
	Commissioner
	Municipal Corporation
Note: Note: time to	In case of rejection of application you may apply fresh on satisfying the above mentioned conditions.  This is a typical format only and is subject to modification/ amendment by the Municipal Corporation from time.

## Annexure 5 (See bye-law 14)

Typology	Typology Description		
A.	Typology A: OMDs on public transport services / street furniture		
A1	Bus and Intermediate Public Transport (IPT) shelters		
A2	Bus and IPT route markers		
A3	Foot Over Bridges, toilet blocks and urinals		
A4	Cycle station		

A5	Police booth, parking booth, telephone booth, pre- paid taxi booth, bus/rail booking information booth, drinking water facility, vending kiosks, kiosks outside colonies to facilitate directory / payment of bills etc.			
A6	Sitting bench, garbage bins			
В.	Typology B: Advertising-OMDs on public transport system			
B1	Metro/MRTS			
B2	Traffic barricading			
В3	Public transport vehicle			
C.	Typology C: OMDs on commercial advertising structures on public land			
C1	OMD on public land			
D.	Typology D: OMDs on commercial advertising structures on private land			
D1	Unipoles, billboards, building boards, wall wraps, multiple OMDs			
Е.	Typology E: events			
E1	Temporary events			
F.	Typology F: landscape advertising			
F1	Tree guards			
G.	Typology G: shop signage			
G1	Self Advertising			
н.	Typology H: innovative advertising			
H1	Innovative advertising			
I.	Typology I: cinema advertising			
I1	In-cinema on screen advertising including slides and advertisement films (moving advertisements).			
J.	Typology J: inside commercial buildings and public buildings			
JI	Inside commercial buildings and public buildings			

The supporting structure shall have a non-reflective finish to prevent glare. The Outdoor Media Devices structure shall be well maintained at all times. It shall be painted in colours that are consistent with, and enhance the surroundings.

#### Schedule 1

### General Permission Criteria - Outdoor Media Devices

### (See bye-law - 14)

### 1. Traffic Hazard Potential Dependencies

- (1) The traffic hazard potential of an OMD depends on its:
  - (i) Site Location: OMD's location from the road which is measured in terms of lateral and longitudinal displacements from the edge of the road. The hazard generally diminishes the further the device is away from the road.
  - (ii) Size of the OMD.
  - (iii) Luminance level of the OMD, and
  - (iv) Background and other such related issues.
- (2) An advertising device may be considered a traffic hazard, if it interferes with road safety or traffic efficiency.
  - (i) If it interferes with the effectiveness of a traffic control device (e.g. traffic light, stop or give way sign).
  - (ii) Distracts a driver at a critical time (e.g. making a decision at an intersection).
  - (iii) Obscures a driver's view of a road hazard (e.g. at corners or bends in the road).
  - (iv) Gives instructions to traffic to "stop", "halt" or other (e.g. give way or merge).
  - (v) Imitates a traffic control device
  - (vi) Is a dangerous obstruction to road or other infrastructure, traffic, pedestrians, cyclists or other road users.
  - (vii) Is in an area where there are several devices and the cumulative effect of those devices may be potentially hazardous.
  - (viii) If situated at locations where the demands on drivers' concentration due to road conditions are high such as at major intersections or merging and diverging lanes.
    - (ix) If it violates the building bye-laws of Municipal Corporation
- (3) Besides aforesaid, additional driver attention and decision making are required at the following:
  - (i) high speed diverging, merging or weaving at an intersection such as at a "Y" intersection or large high-speed roundabouts;
  - (ii) in the vicinity of intersections where through lanes merge and where vehicles are required to merge at higher speeds (e.g. where "trap lanes" are created on the approaches to, or exit from, intersections and where a divided motorway becomes a two-way road);
  - (iii) intersections or sections of road which, because of lane configuration or geometry, may require an increased level of driver concentration (*e.g.* five-way intersections, back to back horizontal curves);
  - (iv) on the outside curve of a divided road where advertising is directed at traffic on the opposite carriageway and the geometry, angle or other factors make this undesirable;
  - (v) sections of road displaying traffic signals, directional signage, regulatory or advisory signage that (when considered singularly or in combination) are believed to be significantly more different or complex than would normally be expected (at these intersections, it would be expected that the required reading and interpretation period of the traffic control device(s) would be significantly longer);
  - (vi) sections of road that have a vehicle crash history higher than the system average;
  - (vii) pedestrian crossing facilities; and
  - (viii) schools, hospitals.

#### 2. OMD Location Selection Criteria

- (1) The site selection criteria comprise of:
  - (i) the lateral placement of OMDs (which influences the hazard potential for an errant vehicle and the effectiveness of official traffic signs) and
  - (ii) the longitudinal placement of OMDs (driver distraction control) relative to designated traffic situations and official traffic signs, road features and other OMDs (which influences sight distances and driver distraction).
- (2) Lateral Placement
  - (i) Advertising is not permitted in medians because these areas are set aside for important traffic control devices.

- (ii) OMDs shall not be permitted on traffic islands.
- (iii) Where carriageways diverge so much that oncoming traffic is not visible because of topography or dense vegetation.
- (3) Longitudinal Placement (Driver Distraction Controls)
  - (i) Longitudinal placement set out minimum distances between the OMDs and traffic conflict points, official traffic signs and other OMDs (*i.e.* reduce advertising density).
  - (ii) To facilitate the smooth flow of the traffic and to avoid any traffic hazard caused by the placement of OMDs following shall be followed while finalizing longitudinal placement of any device, the distance for placement of OMD shall be measured from main carriageway or the edge of the junction, intersection, roundabouts etc.
  - (iii) Relevant IRC codes shall apply.Lateral Site Selection Criteria

Site Selection Criteria for Lateral Placement					
	No. of Lanes/ Width (W) of Main Road in metre	Minimum Straight Road Clear Distance in metre			
(i)	< 4 lanes / < 14 m undivided/divided carriage ways	6			
(ii)	>4 lanes/<6 lanes with undivided/divided carriage ways	10			
(iii)	>= 6 lanes<8 lanes with undivided/divided carriage ways	15			
(iv)	>=8 lanes with undivided/divided carriageways	50			

- (i) Where lateral placement requirements and driver distraction requirements are provided for by a particular restriction distance, the greater value shall be used.
- (ii) When two (2) OMDs, located together, are different in their general form, the driver distraction potential shall be determined separately for each device
- (iii) If an OMD is visible from more than one road or type of road (such as a motorway or motorway standard road and a ramp or other road) the restrictions applicable to each road or type of road the OMD is visible from, shall be assessed.
- (4) Physical characteristics of OMDs
  - (i) The application of control on physical characteristics is intended to minimize the level of driver distraction. Control of the physical characteristics of Outdoor Advertising Devices shall relate to the:
    - a. Size and shape
    - b. Colour
    - c. Illumination and Luminance
    - d. Movement and Rotation
    - e. OMD Content
  - (ii) Size and Shape
    - a. OMDs shall not use shapes that could potentially result in an OMD being mistaken for the effectiveness of official traffic signs.
    - b. The Code of Practice for Road Signs IRC:67-2001, by Indian Roads Congress prescribes the basic design parameters of official traffic signs and includes standard legend/background colour combinations.

### (iii) Colour

- a. OMDs shall not use colour combinations that could potentially result in being mistaken for an official traffic sign.
- b. The Code of Practice for Road Signs IRC: 67-2001, by Indian Roads Congress

prescribes the basic design parameters of official traffic signs and includes standard legend/background colour combinations.

### (iv) Illumination and Luminance

- a. OMD shall not contain flashing red, blue or amber point light sources which, when viewed from the road, could give the appearance of an emergency service or other special purpose vehicle warning light's,
- b. All lighting associated with the OMD shall be directed solely on the OMD and its immediate surrounds.
- c. External illumination sources shall be shielded to ensure that external 'spot' light sources are not directed at approaching motorists.
- d. Illumination of OMD is to be concealed or be integral part of it.
- e. Up-lighting/upward pointing of the device shall not be allowed, any external lighting is to be downward pointing and focused directly on the OMD to prevent or minimize the escape of light beyond OMD.
- f. Any light source shall be shielded so that glare does not extend beyond the OMD.
- g. Non-static illuminated OMDs (flashing lights) are not permitted.
- h. The average maintained luminance shall be reduced to 0.5 candelas or all together shut, after 2300 hours (11 P.M) and sunrise by automatic timing devices or as specified by Municipal Corporation from time to time.
- OMDs containing retro-reflective material shall be rotated approximately 5 degrees away from the normal line of vehicle headlight beams in order to minimize specular reflection.

### (v) Movement and Rotation

- a. Moving displays cause a statistically significant distractive influence on motorist's response times to external stimuli. Moving, rotating or variable message OMDs are not permitted. (except advertisements pasted on public transport vehicles only.)
- b. This permission criterion is not intended to apply to variable message displays used by road authorities for traffic management/ information. Variable message displays located at bus stops or similar places where messages are directed at, and intended for, pedestrians (not motorists) are excluded.

### (vi) Advertising Device Content

The Municipal Corporation will generally rely upon self- regulatory controls within the Advertising industry to enforce minimum Advertising standards. Notwithstanding this approach, the Municipal Corporation may take action to modify or remove any advertisement on the OMD that contravene the Advertising Industry's Code of Ethics, (refer List of Negative Advertisements provided in sub-rule 12(3) or that otherwise causes a traffic hazard.

### (vii) Legibility

- a. For all categories of OMDs (other than OMDs which are directed at pedestrians), text elements on an OMD face should be easily discernible to traveling motorists. This will minimize driver distraction. Additionally, a sign shall be quickly and easily interpreted so as to convey the required advertising message to the viewer and reduce the period of distraction.
- b. The content or graphic layout exhibited on OMD panel shall avoid hard-to-read and overlay intricate typefaces and have letters styles that are appropriate. Under no circumstances should device contain information in text sizes, which would necessitate the driver or passenger in a moving vehicle to stop, read and/or note down, which is detrimental to the smooth flow of traffic and distracting for the driver.
- c. All OMDs shall be so designed as to maintain a proportion where, as a general rule, letters should not appear to occupy more than 20% of the OMD area, unless otherwise permitted by the Municipal Corporation.

### 3. Installation, Operations and Maintenance Development Criteria

- (1) The following criteria shall also apply:
  - (i) Safe access shall be available to the OMD for erection, maintenance and alteration activities.
  - (ii) The OMD and surrounding areas shall be kept in a clean and tidy condition.

- (iii) Unauthorized clearing, trimming, slashing and burning off or otherwise removal or destruction of vegetation is not permitted.
- (iv) Apart from accommodating vehicular and pedestrian traffic, road reserves are corridors for utility services such as power, telecommunications, gas, storm water, water supply and sewerage. The location of these services is known by other agencies with their own legislative right to install these services within the road reserve.
- (v) Municipal Corporation does not know the accurate location of all underground services. The owner is responsible to co-ordinate, inform and communicate to relevant authorities before any excavation or fabrication on site work is to be undertaken. Any liability, delay or accident that happens, is complete responsibility of the owner and in no way Municipal Corporation would be liable to help, support, negotiate or waive off any of the conditions set in the agreement or these bye-laws.
- (vi) OMD owners are solely responsible for ensuring that during erection, maintenance, alteration and operation of an OMD, the device does not conflict with services or other things within the road reserve.
- (vii) Municipal Corporation may ask the owner to either replace or altogether remove any OMD to facilitate the work undertaken by utility services such as power, telecommunications, gas, storm water, water supply and sewerage, or for road widening.

#### 4. Structure

- (1) OMD structures devices shall be certified by a Structural Engineer practicing in the field of structural engineering. This requirement is not applicable to specific instances where the OMD is in the form of Advertisement pasted directly to the surface of a structure *e.g.* pasted sticker on a vehicle, wall wrap.
- (2) This certification confers compliance of the design with relevant Indian Structural Design Standards, Codes of practice and conditions of this guide. The foundations shall be designed and checked for extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity etc.
- (3) The supporting structure shall have a non-reflective finish to prevent glare.
- (4) The OMD structure shall be well maintained. It shall be painted in colours that are consistent with, and enhance, the surrounding area.
- (5) Official road furniture such as official signs and delineator guide posts shall not be used as the supporting structure of an OMD.
- (6) The name of the OMD license holder, Number of license/ media device identification number etc. shall be placed in a conspicuous position on the OMD as may be notified by Municipal Corporation from time to time.

### 5. Electrical Connections

- (1) Electrical connections to OMDs shall meet relevant Indian Standards.
- (2) Electrical connections to OMDs shall be designed to ensure there is no safety or traffic risk.
- (3) Electrical connections to OMDs shall be designed to be safe in the event of accidental knock down.
- (4) The owner is the power consumer and shall make application for power connection to obtain electricity connection from the respective electricity distribution company for illuminated display in his own name, for which Municipal Corporation/ concerned land owning agency would provide necessary no objection certificate on the owner's request.
- (5) Any charges for power connection and supply shall be incurred directly by the Owner. A copy of the electricity supplier's letter of acceptance/ billing arrangement shall be submitted to Municipal Corporation.
- (6) The electrical installation work shall be performed by a licensed electrical worker in accordance with the relevant Electricity Regulation and, the Wiring Rules and the relevant electricity supplier's requirements.
- (7) Adequate insulation and protection equipment and procedures shall be in place to protect maintenance and service personnel working on either the OMD or the road lighting circuit. For earthing, a separate earth electrode shall be used, and active and neutral conductors shall be used only for supply from the supply point.

- (8) A sketch plan shall be submitted to Government Authority showing the location from where the electricity is being drawn along with position of various other ancillary requirements, duly signed by a qualified electrical engineer practicing in same field.
- (9) A copy of the electrical contractor's test certificate shall be provided to Municipal Corporation. The switching device shall be of a type approved by the electricity supplier. Electrical components shall accord with relevant Indian Standards.

#### 6. Miscellaneous

- (1) OMDs involving communication through sound, smell, etc. are not permitted.
- (2) No generator running on diesel/ petrol/ kerosene or any bio fuel, causing noise, air or water pollution would be allowed for providing power for illumination of any OMD.

### 7. List of Non Permissible Outdoor Advertisement

- (1) Posters
- (2) Banners
- (3) Advertisement on Pillars/ Pylon Mounted Devices

### 8. Innovative OMD's

- (1) Specific permission shall be required to be obtained for Innovative OMDs such as LED, LCD and other such media.
- (2) This approval shall be for specified duration, and shall be in terms bye-law 6.
- (3) While driving the drivers glance from road to read the content of sign, and then glance back on road.LED signs (without colour changes) are acceptable format of advertisement on building façade, since these are expected to be representing specific brand names and do not contain high visual information.
- (4) However, LCD / LED screens which typically contain high graphic and visual images shall be restricted to market areas, parking places, parks, walkways, primarily not facing vehicular movement of traffic.
- (5) Further, use of OMDs for distribution of Wi-Fi hotspots, mobile telephony antennae/ towers shall be permitted, based on specific project report.
- (6) Besides aforesaid, other criteria could be:
  - (i) Frequency and extent of movement and colour change within a display.
  - (ii) OMD should be installed only where the required sign viewing time does not result in a safety problem for the particular environment.
  - (iii) There is adequate advance visibility to read the sign.
  - (iv) The environment is free from driver decision points and there is no competition with official traffic signs.
  - (v) The device is not a moving Outdoor Media Device.
  - (vi) Long duration display periods are preferred in order to minimize driver distraction and reduce the amount of perceived movement. Each screen should have a minimum display period of 8 seconds. The time taken for consecutive displays to change should be within 0.1 seconds.
  - (vii) The complete screen display should change instantaneously. Methods of display change such as 'fly in' or 'scroll', or any other type of message change, are not recommended.
  - (viii) Sequential message sets are not allowed.
  - (ix) The time limits will be reviewed periodically.
- (7) The world is dynamic today, everyday new technology evolves, the policy shall be open to adopting these new technologies provided they do not contravene any general permission criteria, and shall also be approved by the Municipal Corporation. The permission shall be taken from the Municipal Corporation before implementing any such mediums.

### 9. Permission criteria

- (1) All on premises OMDs/ business/ trade signs should be restricted to commercial areas and authorized business/ trade establishments within institutional areas
- (2) OMDs are not permitted in residential areas.

- (3) Illuminated-On premise OMD is not permitted in shops/commercial establishments facing residential areas on streets with width less than 12 meters.
- (4) No OMD shall be attached in any way to trees or shrubs.
- (5) No trade and business sign, messages, posters or printed material of any nature shall be pasted onto any supporting column, pillar or post.
- (6) On premise OMD in any form shall not obstruct any pedestrian movement (vertically and laterally), fire escape, door or window openings
- (7) On premise OMD shall not in any form or manner interferes with openings required for light and ventilation.
- (8) Under no circumstances shall on premise OMD be located to obstruct or alter the frontal silhouette of any transparent/translucent surfaces/ openings.
- (9) Non-illuminated transparent/ translucent signs shall be permitted on transparent/ translucent external surfaces at any level.
- (10) No trade and business sign shall be in any form or manner interfere with fire safety transit/ exit space requirements and prescribed norms.
- (11) All on premise Outdoor Media Device should under no circumstances reflect activity/ activities other than those undertaken within the premises.
- (12) No OMD shall contain additional Advertising -promoting products or services other than approve use of the premises or site irrespective of whether that product or service is provided, sold or available on the site.
- (13) All on Premise OMD shall have the compulsory required information as under:
  - (i) Name of the trade and business
  - (ii) Shop/Premise number
- (14) All on premise OMD must conform to the prevailing laws with regard to decency, decorum, social harmony etc.
- (15) All the OMD shall be visually interesting and exhibit a high level of design quality.
- (16) All on premise OMD must conform to structural/ architectural discipline of the surface/ edifice/ building/ open areas.
- (17) The scale and location of a sign should be compatible not only with the building to which it is affixed but also take into consideration nearby buildings, streets and existing signs.
- (18) Materials used in all on premise OMDs should be non-polluting, fire resistant and injury proof.
- (19) Any new sign Media Device shall consider existing signs on a building, site or adjoining streetscape to ensure that the sign does not give rise to visual and/ or physical clutter.
- (20) All signs shall have a minimal projection from a building.
- (21) The cabling and conduit should be concealed from view of the sign and any supporting structure from all angles, including visibility from the street level and nearby higher buildings and against the skyline.
- (22) No sign under any circumstances shall be supported from, hung or placed on other signs. Each sign should be self-supporting or fixed securely with the architectural structure.
- (23) Signs painted on or applied on the roof of a building are not permitted. Signs built and/ or suspended from the roof at the roof level are also not permitted.
- (24) The sign information should be kept to a minimum in the interest of both aesthetics and traffic safely.
  - (i) Where subordinate information is allowed, the name or use of the business shall be the dominant message on the sign- No supplementary (as in bylines, product specifications, selling propositions) and subordinate information (addresses, telephone numbers, and other such details) which seeks the attention of drivers along vehicular stretches will be allowed as they present a traffic hazard.
  - (ii) Sign should be non-reflective such that they do not flash or glare at drivers on the streets. Signs should not use reflective surfaces as mirror foils etc. as the use of such material are visually disruptive to traffic and can be hazardous to oncoming drivers.
    - a. All permitted signs would attract levies payable as outlined by the Municipal

Corporation.

 The minimum vertical clearances for Advertising Devices are specified in the table below.

Advertising Device – Minimum Clearances					
Location Description	Minimum Vertical distance				
Generally	2.5 meters To the highest point on the ground surface under the device				
Above the Road Surface (including shoulders and traffic lanes) or any part of the device is within the clear zone (no safety barrier) or the deflection zone of a safety barrier if a safety barrier is installed.	6.5 meters To the highest point on the road surface under the device.				
Attached to Road Infrastructure (e.g. Overpass)	The billboard must be located so that no portion of the Advertising Device is lower than the minimum vertical clearance under the overpass or supporting structure at the corresponding location.				

c. Typical advertising device dimensions

Description	Dimension (in metres)	Area (in sq. metres	Maximum height (in metres)
Small Portraits	3 x 4.5	13.5	7.5
Posters	6 x 3	18	10
Super 8's	8.22 x 2.26	18.6	10
Portraits	4 x 6	24	10
Supersites	12.66 x 3.35	42.4	12.5
Spectacular	18.99 x 4.45	84.5	12.5

d. Municipal Corporation shall prefer that aforesaid sizes are used increasingly to bring more aesthetics in the City. As far as possible, owners shall try to use one of the aforesaid standard dimensions.

### 10. Maximum Permissible Area for on Premises Advertisement

- (1) The maximum permissible area available for on premises (including buildings and land) advertisement is 75% (on each face of the building) of the total area (fascia) visible from public street/road. The said space shall be inclusive of 2% for shop signage.
- (2) Where no or little construction has happened in such cases the percentage area for outdoor media shall be percentage of ground area *i.e.* assuming an FSI = 1.*e.g.* petrol pumps, property under development etc.

DR. MAHAVIR SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.